

# State Election Commission, Haryana

Nirvachan Sadan, Plot No. 2, Sector- 17 Panchkula, Haryana - 134109

Website: www.secharyana.gov.in Email id:sec@hry.nic.in

Phone: +91172 258 4810

Fax : +91 172 258 5904

No.SEC/1ME/2020/1839-1860

Dated: 18.11.2020

To

All the Deputy Commissioners in the State of Haryana.

Subject:

Notification No. S.O. 52/H.A. 24/1973/S.257&S. 276/2020 dated 30th November, 2020 -Amendments in the Haryana Municipal Election Rules, 1978- Direct elections of President Regarding.

Sir/Madam.

I am directed to refer to the subject cited above and to inform you that in view of the direct elections of the seat of President in Municipal Committees and Councils, the State Government has made necessary amendments/insertions in the Haryana Municipal Election Rules, 1978 vide notification bearing No. S.O. 52/H.A. 24/1973/S.257&S. 276/2020 dated 30th November, 2020. A copy of Notification is enclosed herewith with the request to familiarize yourself and all other concerned with the amendments made in the Haryana Municipal Election Rules, 1978, for strict compliance in future.

Yours faithfully

(Parmal Singh)

Assistant State Election Commissioner,

Haryana

A copy of above alongwith enclosure is forwarded to the following for information and necessary action:-

 Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department, Chandigarh.

 Director, Urban Local Bodies Department, Panchkula. He is also requested to send the copy of the Hindi version of said notification immediately.

3. Executive Officers (E.Os) and Secretary's of all the Municipal Councils and Municipal Committees in the State of Haryana for information and strict compliance.

(Parmal Singh)
Assistant State Election Commissioner,
Haryana

Dated:18.11.2020

Dated: 18.11.2020

Endst. No. SEC/1ME/2020/1941

A copy of above alongwith enclosure is forwarded to I.T.Cell of this Commission with the directions to host the notification in the official website of this Commission and also to make necessary corrections in the Haryana Municipal Election Rules, 1978 accordingly.

(Parmal Singh)
Assistant State Election Commissioner,
Haryana

- CC: 1. Store-Keeper (two copies for record & n.a.)
  - 2. Librarian (two copies for record)

E Wuldeep-MCWuldeep- Office and Personal material Wuldeep-MCWII DCs- Amendment in Municipal Rules 1978- President Direct Elections doc

#### भाग-III

#### हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

#### अधिसूचना

दिनांक 30 अक्तूबर, 2020

संख्या का०आ० 52/ह०अ० 24/1973/घा० 257 तथा घारा 276/2020 — हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), की धारा 257 की उप—धारा (1) के खण्ड (ग) से (छ), उप—धारा (2), (4) तथा (7) तथा धारा 276 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 2/1/2019—आर.—ा, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, इसके द्वारा, हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- 1. ये नियम हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड (ज) में, ''सदस्य '' शब्द के स्थान पर, ''अध्यक्ष तथा सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
- 3. उक्त नियमों में, नियम 21 में,-
  - (i) विद्यमान उपान्तिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपान्तिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : "अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अयोग्यताएं " :
  - (ii) उप-नियम (1) में,
    - (क) "सदस्य के रूप में" शब्दों के स्थान पर "अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
    - (ख) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः
      - "(घ) समिति और राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई भी पद धारण करे";
    - (ग) खण्ड (त) के द्वितीय परन्तुक में, ''योग्यता पांचवीं पास होगी'', शब्दों के स्थान पर, ''अध्यक्ष को छोड़कर सदस्यों के लिए योग्यता पांचवीं पास होगी'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
  - (iii) उप—िनयम (4) में, ''चाहे कोई सदस्य हो'' शब्दों के स्थान पर, ''चाहे अध्यक्ष या कोई सदस्य हो'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
- 4. उक्त नियमों में नियम 23 में.-
  - (i) उप–नियम (1) में, ''नगरपालिका की सदस्यता के लिये'' शब्दों के स्थान पर, ''अध्यक्ष या समिति की सदस्यता के लिये'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
  - (ii) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--
    - "(4) इस नियम की कोई भी बात, किसी भी उम्मीदवार को उसी निर्वाचन—क्षेत्र में अध्यक्ष या सदस्य के निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामांकन पत्रों द्वारा नामनिर्देशित किए जाने से नहीं रोकेगी:

परन्तु उसी निर्वाचन क्षेत्र में अध्यक्ष या सदस्य के निर्वाचन हेतु किसी उम्मीदवार द्वारा या की ओर से चार से अधिक नामांकन पत्र न तो प्रस्तुत किए जाएंगे या न ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।

- 5. उक्त नियमों में, नियम 24 में,-
  - (i) उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
    - "(1) किसी उम्मीदवार के नामांकन पत्र को तब तक विधिवत् दिया गया नहीं समझा जायेगा, जब तक नियम 23 के अधीन उसे देते समय उम्मीदवार द्वारा नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई राशि या तो रिटर्निंग अधिकारी के पास नकद जमा नहीं करवा दी जाती अथवा जमा नहीं करवाता अथवा नामांकन पत्र के साथ यह दर्शाते हुये रसीद संलग्न नहीं करता है कि उक्त राशि सरकारी खजाने में जमा करवा दी गई है या उस दिन के बाजार मूल्य के बराबर सरकारी वचन पत्र संलग्न नहीं करता :-

#### सारणी

| समिति की श्रेणी    |   | जमा की जाने वाली राशि                   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|
|                    | यदि उम्मीदवार अनुर<br>का सदस्य अथवा महि | नूचित जाति, पिछड़े वर्ग<br>हेला नहीं है | यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व<br>सदस्य अथवा महिला है |            |  |  |  |  |  |  |
|                    | अध्यक्ष                                 | सदस्य                                   | अध्यक्ष   | सदस्य      |  |  |  |  |  |  |
| नगरपरिषद्          | ₹3000 / –                               | ₹2000 / –                               | ₹1500 / -   | ₹1000 / -  |  |  |  |  |  |  |
| नगरपालिका<br>समिति | ₹2000 / –                               | ₹1000 / -                               | ₹1000 / -   | ₹500 / — : |  |  |  |  |  |  |

परन्तु जहां किसी उम्मीदवार द्वारा उसी निर्वाचन—क्षेत्र में अध्यक्ष और सदस्य के लिये निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामांकन पत्र भरे गये हैं, तो इस उपनियम के अधीन उससे एक से अधिक बार राशि जमा करवाने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।";

- (ii) ''उप—िनयम (4) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्निलखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :— ''परन्तु यदि किसी उम्मीद्वार द्वारा एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में अध्यक्ष अथवा सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे गये हैं, तो उस द्वारा या उसकी ओर से जमा करवाई गई राशियों में से एक से अधिक नहीं लौटाई जाएगी तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी।''।
- 6. उक्त नियमों में, नियम 31 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात् :--
  - "31. **उम्मीदवार निर्वाचित समझा जायेगा यदि संख्या एक है,—** (1) यदि किसी निर्वाचन—क्षेत्र में अध्यक्ष या सदस्य के लिए केवल एक उम्मीदवार है, तो निर्वाचन अधिकारी रिक्ति को भरने के लिए ऐसे उम्मीदवार को विधिवत् निर्वाचित घोषित करेगा ।
  - (2) यदि कोई उम्मीदवार निर्वाचित नहीं किया जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त रिक्ति को भरने हेतु व्यक्तियों का चुनाव करवाने के लिए नियम 19 के अधीन नया निर्वाचन कार्यक्रम बनाएगा ।''।
- 7. उक्त नियमों में, नियम 32 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--
  - "32. **मतदान करवाया जाना, यदि उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक है .—** यदि किसी निर्वाचन—क्षेत्र में अध्यक्ष के लिए अथवा सदस्य के लिए निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है. तो मतदान करवाया जायेगा।"।
- 8. उक्त नियमों में, नियम 33 में, ''सदस्य'' शब्द के स्थान पर, ''अध्यक्ष या सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
- 9. उक्त नियमों में, नियम 62 में, ''यदि उस निर्वाचन—क्षेत्र में कोई भी मतदान नए सिरे से करवाया जाना आवश्यक न हो'' शब्दों के स्थान पर, ''यदि अध्यक्ष और सदस्य के लिए उस निर्वाचन—क्षेत्र में कोई भी मतदान नए सिरे से करवाया जाना आवश्यक न हो'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
- 10. उक्त नियमों में, नियम 70 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--
  - "70. राजनिष्ठा की शपथ, और उप—अध्यक्ष के चुनाव के लिए समय सीमा— (1) जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न करे, उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपित्रत अधिकारी, सिमिति के चुने गये अध्यक्ष तथा सदस्यों के नामों की अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर, नव गठित सिमिति के निर्वाचित सदस्यों के सामान्य निवास स्थान पर अड़तालीस घण्टे का नोटिस भेजकर नियम 24 के अधीन राजनिष्ठा की शपथ हेतु प्रथम बैठक बुलायेगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि उपस्थित अध्यक्ष और सदस्यों को राजनिष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी।
  - (2) उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी, उप—िनयम (1) में निर्दिष्ट बैठकों के लिए तीस दिन की अविध के भीतर, अध्यक्ष और सदस्यों को उनके सामान्य निवास स्थान पर अड़तालीस घण्टे का नोटिस भेजकर बैठक बुलायेगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि बैठक में शेष बचे सदस्यों को राजनिष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी और कि बैठक में उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। संयोजक, प्रथमतः शेष बचे सदस्यों को राजनिष्ठा की शपथ दिलाएगा और उसके बाद उपाध्यक्ष के चुनाव की बैठक की अध्यक्षता करेगा।
  - (3) यदि अध्यक्ष और सदस्य उप–नियम (2) के अधीन बुलाई गई बैठक में उपाध्यक्ष का चुनाव करने में असफल रहते हैं, तो उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी, उप–नियम (2) में

निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर उपाध्यक्ष का चुनाव उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार करवाने के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक तब तक बुलाता रहेगा जब तक उपाध्यक्ष का चुनाव न हो जाये ।

- (4) यदि अध्यक्ष और सदस्य उप—िनयम (2) और (3) के अधीन बुलाई गई बैठकों में उपाध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के प्रकाशन के पांच मास की समाप्ति की अविध तक करवाने में असफल रहते हैं, तो उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपित्रत अधिकारी उपाध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए अध्यक्ष और सदस्यों को उनके सामान्य निवास स्थान पर अड़तालीस घण्टे का नोटिस भेजकर बैठक बुलायेगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि यदि अध्यक्ष और सदस्य चुनाव करने में असफल रहते हैं, तो सिमिति बिना किसी आगामी नोटिस या आदेश के भंग कर दी गई समझी जाएगी।
- (5) अधिनियम या नियमों के प्रतिकूल किसी बात के होते हुये भी, यदि अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष तथा सदस्यों के चुनाव अधिसूचना की तिथि से छह मास की अवधि की समाप्ति तक उपरोक्त उपबन्धों के अधीन दी गई प्रक्रिया अपनाने के बाद बुलाई गई बैठक में उपाध्यक्ष का चुनाव करवाने में असफल रहते हैं, तो समिति अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी भी प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना तुरन्त प्रभाव से भंग समझी जाएगी:

परन्तु ऐसी बैठकों को समिति की वैध रूप से बुलाई गई बैठकें समझा जाएगा।

- (6) धारा 31 के अधीन किसी भी उप—िनयम में दी गई किसी भी बात के होते हुये भी, राजिनष्ठा की शपथ दिलाए जाने और उपाध्यक्ष के चुनाव को बैठकों में कार्यवृतों में कार्यवाहियों के भाग के रूप में अभिलिखित किया जाएगा।"।
- 11. उक्त नियमों में, नियम 70 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थातु :--
  - " **70 क. अध्यक्ष के पद का आरक्षण.** नगरपालिकाओं में अध्यक्ष का पद सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों तथा महिलाओं में से निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चक्रानुक्रम द्वारा भरा जाएगा जो निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात :—
    - (i) राज्य में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या, ऐसे अनुपात में होगी जो राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के समान नगरपालिकाओं के ऐसे पदों की कुल संख्या के समान अनुपात में हो ;
    - (ii) नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों सिहत महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण अलग—अलग नगरपालिकाओं में बारी—बारी से होगा, जो निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और सम्बन्धित जिलों के उपायुक्तों या उनके नामनिर्देशितियों से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा अवधारित किया जायेगा; तथा
    - (iii) अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये अध्यक्ष के पदों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर अवधारित की जायेगी और प्रथमतः अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या वाली विभिन्न नगरपालिकाओं, द्वितीयतः पिछड़े वर्गों की अधिकतम जनसंख्या वाली शेष नगरपालिकाओं में बारी—बारी से होगी तथा इस तरह उनकी अगली अधिकतम जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के पदों की पश्चात्वर्ती अवधि में बारी—बारी से होगी। यदि दो नगरपालिकाओं या नगरपरिषदों की जनसंख्या की प्रतिशतता पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में एक समान है, तो आरक्षण, उपरोक्त खण्ड (ii) में निर्दिष्ट समिति द्वारा संचालित किए जाने वाले ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा अवधारित किया जाएगा।"
- 12. उक्त नियमों में, नियम 71 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :--
  - "71. मतपत्र का लिया जाना और उसके बाद परिणाम .— (1) यदि उपाध्यक्ष के पद के लिए केवल एक उम्मीदवार का प्रस्ताव किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार को विधिवत् निर्वाचित घोषित किया जाएगा । यदि प्रस्तावित उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है, तो मतदान, बैलेट पेपर या इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन द्वारा होगा। अध्यक्ष सिहत सभी सदस्यों को जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए या तो बैलेट पेपर में तीर कास मार्क रबर मोहर लगाकर या इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान करना अपेक्षित होगा। अधिकतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जायेगा। ऐसे मतदान के लिए विशेष मतपत्र का प्रयोग किया जाएगा और उसमें उपायुक्त द्वारा उस पर लगाया हुआ अधिकारिक चिहन होगा।
  - (2) ऐसे मतदान के लिए प्रयुक्त सभी बैलेट पेपर मतगणना के पूरा होने के तुरंत बाद स्टाउट लिफाफे में बंद किये जायेंगे और अधिकारी, जो अध्यक्ष सहित मौजूदा सदस्यों को ध्यान में रखते हुये बैठक की अध्यक्षता करता है, द्वारा सीलबद्ध किया जाएगा तथा चुनाव का विवरण सम्बन्धित मतपत्रों को अंकित किया जाएगा और ऐसे लिफाफे को एक अन्य बड़े लिफाफे में बंद किया जाएगा और उपायुक्त को दिया जाएगा। उपायुक्त चुनाव की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति तक आंतरिक लिफाफे को बरकरार रखेगा और उसके बाद राज्य सरकार, सक्षम न्यायालय या इन नियमों के

भाग V के अधीन किसी चुनाव की जांच के लिए नियुक्त किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रतिकूल निर्देशों के अधीन रहते हुये इसके विषय वस्तु को नष्ट करवाएगा।"

13. उक्त नियमों में, नियम 72 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--

"72. मतों की समानता की दशा में प्रकिया.— यदि दो या अधिक उम्मीदवार मतों की समान संख्या प्राप्त करते हैं तथा यह कि मतों का परिवर्धन उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए किसी भी उम्मीदवार को अधिकृत करेगा, तब बैठक की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उम्मीदवारों की उपस्थिति में किए जाने वाले ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा लड़ने वाले उम्मीदवारों के मध्य विनिश्चय करेगा तथा उम्मीदवार, जिसके पक्ष में ड्रॉ ऑफ लॉटस होगा, को चुना गया समझा जाएगा।"।

14. उक्त नियमों में, नियम 72 क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :--

**"72 क. उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव.**—(1) समिति के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, उपायुक्त को सम्बोधित लिखित माँग, जो समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से हस्ताक्षरित हो, के माध्यम से लाया जा सकता है:

परन्तु अध्यक्ष सहित सदस्य जिनके द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाया गया है, प्रयोजन हेतु बुलाई गई बैठक से पूर्व इस प्रस्ताव को वापिस ले सकते हैं।

व्याख्या:- इस नियम के अधीन किसी भी अंश को पूर्ण रूप में लिया जाएगा।

- (2) उपायुक्त या उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा कोई अधिकारी जो सहायक आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो, अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य को उनके उपयोग के लिए माँग की प्रति वितरित करेगा ।
- (3) उपायुक्त या उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा कोई अधिकारी, जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो, ऐसा नोटिस जो पंद्रह दिन से कम का न हो, देकर उपनियम (1) में निर्दिष्ट अविश्वास प्रस्ताव में विचारण के लिए विशेष बैठक बुलाएगा, और ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगाः

''परन्तु प्रयोजन के लिए कोई भी ऐसी बैठक, तिथि, जिसको उपाध्यक्ष का निर्वाचन अधिसूचित किया गया था, से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व नहीं बुलाई जायेगी तथा ऐसी अविध की समाप्ति के बाद जब भी ऐसी बैठक उसकी पदाविध के दौरान बुलाई जाती है तथा पद खाली करने के लिए प्रस्ताव असफल हो जाता है, तो उसके बाद कोई भी बैठक किसी भी समय उपाध्यक्ष के विरुद्ध समरूप प्रस्ताव विचारने के लिए तब तक नहीं बुलाई जाएगी जब तक अन्तिम असफलता तथा तिथि जिसको ऐसी आगामी बैठक बुलाई गई है, के बीच कम से कम छह मास की अविध का अन्तराल न हो।

- (4) यदि समिति के अध्यक्ष सहित सदस्य के कम से कम दो तिहाई सदस्य के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता हैं, तो उपाध्यक्ष, द्वारा उसके पद को रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा ।
- 15. उक्त नियमों में, नियम 72 ख में, "अध्यक्ष अथवा", शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।"।
- 16. उक्त नियमों में, नियम 74 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--
  - " 74. अध्यक्ष या सदस्य का कोई भी निर्वाचन, इन नियमों के अनुसरण में प्रस्तुत की गई किसी निर्वाचन याचिका के सिवाय प्रश्नगत नहीं होगा। "।
- 17. उक्त नियमों में, नियम 75 में, "अध्यक्ष या", शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।
- **18.** उक्त नियमों में, विद्यमान प्ररूप 1, 1ग, 1घ, 2, 2क, 2ख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

[देखिए नियम 23(2)]

#### नामांकन पत्र

| नगरपारि   | लेका /            | 'नगरपरि           | षद                  |                 |               |                     | रिषद<br>ई / निर्वाचन |                |                         |                     |           |                |            |            |
|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------|----------------|------------|------------|
| •         |                   | में नामज          |                     | ٠.              |               |                     |                      |                |                         |                     |           |                |            |            |
|           |                   |                   |                     |                 |               |                     |                      |                |                         |                     |           |                |            |            |
|           |                   |                   |                     |                 |               |                     |                      |                |                         |                     | ٠. ٢      |                |            |            |
|           | दाता र            | नूची में क्र      | न संख्य             | Ī ————          |               |                     |                      |                | पर                      | दर्ज है।            |           |                |            |            |
| संख्या–   | मेरा<br>          | नाम<br>           | <br>की मतद          | <br>ाता सूची    | <br>में क्रम  | है तथ<br>संख्या     | ग्रा यह नग<br>       | ारपालिक<br>    | ा ∕ नगरपि<br>पर         | रेषद् –<br>दर्ज है। |           |                |            | की वार्ड   |
| तिथि :    |                   |                   |                     |                 |               |                     |                      |                |                         | (प्रस्त             | ावक के    | हस्ताक्षर)     |            |            |
| करता /    | मैं,<br>करती      | उपर<br>हूं        | वर्णित<br>————      | उम्मीद          | वार,<br>———   | इस                  | नामांकन<br>          | से             | सहमत                    | हूं                 | तथा       | एतद्           | द्वारा     | घोषणा      |
|           | (ক)               | कि भैंने          |                     |                 |               |                     | वर्ष                 | की आयु         | पूरी कर                 | ली है,              |           |                |            |            |
|           | (ख)               | कि मुझे           |                     |                 |               |                     | पार्ट                | ीं द्वारा इ    | इस चुनाव                | के लिए              | खड़ा वि   | केया गया       | है।        |            |
|           | (ग)               | कि जो             | निशान               | मैने चुने है    | ें अधि        | मान्यता र           | के क्रम से           | इस प्रक        | ार हैं :-               |                     |           |                |            |            |
|           |                   | (i)               |                     |                 |               |                     |                      |                |                         |                     |           |                |            |            |
|           |                   | (ii)              |                     |                 |               |                     | ;                    | तथा            |                         |                     |           |                |            |            |
|           |                   | ` /               |                     |                 |               |                     |                      |                |                         |                     |           |                |            |            |
|           |                   | *मैं आग           | ो यह घ              | ाषणा कर         | ता हूं 1      | कि मैं -            |                      |                |                         |                     | ज         | ाति / वर्ग     | का सद      | स्य हूं जो |
|           | <br>से सम         | <br>बन्धित है     | <br>तथा जि          | <br>सके लिए     | राप<br>स्थान  | ज्य के –<br>इस प्रव | <br>कार आरक्षि       | <br>त किया     | <br>गया है।             | —— (क्षेत           | त्र) ये अ | नुसूचित र      | जाति / पि  | ोछड़ा वर्ग |
|           | गई है             | ** मैं र          |                     |                 |               |                     | एक महिला             |                |                         | नके लिए             | र यह र्स  | गिट ऐसे र      | न्प में आ  | ारक्षित की |
|           |                   |                   |                     |                 |               |                     |                      |                |                         | (उम्मी              | ोदवार व   | )<br>हस्ताक्षर | <b>!</b> ) |            |
| (** जो    | यदि               | लागू ना           | हो उसे              | काट दें)        |               |                     |                      |                |                         |                     |           |                |            |            |
|           |                   |                   |                     |                 |               | मि                  | नस्ट्रेट द्वारा      | सत्याप         | न                       |                     |           |                |            |            |
| जानता     | उपर्युक<br>हूँ अथ | त घोषणा<br>वा उसक | ा ———<br>ग्री पहचान | <br>न मेरी संत् | <br>नुष्टि के | <br>अनुसा           | द्वारा सत्य<br>र     | निष्ठा से<br>ह | मेरे सामने<br>इारा की ग | ा की गः<br>ई है।    | ई है, जि  | नसे मैं र्व्या | क्तगत र    | जप से      |
| ग्र्शान _ |                   |                   |                     | _               |               |                     |                      |                |                         | <del>110 - 11</del> | ाटनाम ग   | प्तहित सत्य    | गागन       |            |
|           |                   |                   |                     |                 |               |                     |                      |                |                         |                     |           | हस्ताक्षर      | 11 1 1     |            |
|           |                   |                   |                     |                 | (f            | रेटरर्निंग          | अधिकारी              | द्वारा भर      | रा जाए)                 | 2111-21             |           | 2 (11141 (     |            |            |
|           |                   |                   |                     |                 |               |                     |                      |                |                         |                     |           |                |            |            |
| नामांकन   | र पत्र            | की क्रम           | संख्या -            |                 |               |                     |                      |                |                         |                     |           |                |            |            |

| 202 HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 3, 2020 (KRTK. 12, 1942 SAKA)   |
|--|
|  |
| रिटर्निंग अधिकाः   |
| नामांकन पत्र स्वीकार करने या अस्वीकार करने वाले रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय  |
| मैंने हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 27 के अनुसार इस नामांकन पत्र की जांच की है तथ<br>निम्नानुसार निर्णय किया गया है :—<br>———————————————————————————————————  |
| तिथिः —————— रिटर्निंग अधिकारी   |
| उम्मीदवार को दिया गया निशान ——————— है।  |
| तिथि : रिटर्निंग अधिकारी   |
| नामांकन पत्र की रसीद तथा संवीक्षा के लिए नोटिस   |
| (नामांकन पत्र देने वाले व्यक्ति को दी जाए)   |
| नामांकन पत्र की क्रम संख्या ————————   |
| नगरपालिका / नगरपरिषद् —————— से अध्यक्ष के चुनाव अथवा नगरपालिका / नगरपरिष<br>——————— की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्या ——————— से सदस्य के चुनाव के लिये उम्मीदवा<br>का नामांकन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में ——————————————————————————————————— |
| उम्मीदवार / प्रस्तावक द्वारा दिया गया। सभी नामांकन पत्रों की संवीक्षा ————————(बजे) ———————<br>(दिनांक) ————————————————————————————————————   |
| तिथि : <b>रिटर्निंग अधिकारी</b>  |

#### प्ररूप 1ग

[ देखिए नियम 23क]

कृपया अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहां चिपकाएं

|                        |             |             |                                   |   |                            |                                     |  | फोटो यहां<br>चिपकाएं                              |  |  |
|------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|
| पत्र स                 | ō           | की व        | ार्ड / निर्वाच <b>न</b>           | षद्<br>न क्षेत्र संख्या<br>न किया जाने वाला शपथ   | से सद                      | के अध्यक्ष का चु<br>स्य के चुनाव के | नाव अथवा नगरपालिक<br>लिए रिटर्निंग अधिका                         | ा / नगरपरिषद्<br>री के समक्ष नामांकन              |  |  |
|                        | भाग — क     |             |                                   |   |                            |                                     |  |   |  |  |
| मैं<br>उपरोक्<br>हूं:— | <br>त्त निव | <br>चिन     | .**पुत्र / पुर्त्र<br>से अभ्यर्थी | ो / पत्नीहूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा  | आयु<br>विरता हूं,/         | वर्ष, जो(५<br>/ करती हूं और         | पूरा डाक पता दर्शायें)<br>शपथ पर निम्नलिखित                      | का / की निवासी हूं<br>कथन करता / करती             |  |  |
|                        | (1)         | **          | एक स्वतंत्र                       |   | (* <sup>:</sup><br>हा हूं। | *राजनैतिक दल                        | का नाम) द्वारा खड़ा  | किया गया अभ्यर्थी /                               |  |  |
|                        | (2)         |             | ा नाम<br>ग्रेष्ट है।              | (नगरपरिषद / स   | ामिति का न                 | नाम), में भाग र                     | संख्यामें कम   | । संख्यापर  |  |  |
|                        | (3)         |             | ो सम्पर्क टेत्<br>है              | त्रीफोन संख्या / संख्याएं<br>है।  |                            | है / हैं और मेरा                    | ई-मेल आईडी (यदि  | कोई हो)   |  |  |
|                        | (4)         | स्था        | ई लेखा संख                        | व्या (पैन) के ब्यौरे और अ   | ायकर विवर                  | रणी दायर करने                       | की स्थिति :-   |   |  |  |
|                        |             |             | क्रम संख्य                        | ा नाम   |                            | पैन                                 | वित्तीय वर्ष जिसके<br>लिए अंतिम आयकर<br>विवरणी दायर की<br>गई है। | आयकर विवरणी में<br>दर्शाई गई कुल<br>आय (रूपए में) |  |  |
|                        |             |             | 1                                 | स्वयं   |                            |                                     |  |   |  |  |
|                        |             |             | 2                                 | पति या पत्नी  |                            |                                     |  |   |  |  |
|                        |             |             | 3                                 | आश्रित—1  |                            |                                     |  |   |  |  |
|                        |             |             | 4                                 | आश्रित—2  |                            |                                     |  |   |  |  |
|                        |             |             | 5                                 | आश्रित—3  |                            |                                     |  |   |  |  |
|                        | (5)         | नर्ह<br>यवि | ों हूँ जिसमें                     | त मामले में दो वर्ष या 3<br>सक्षम अधिकारिता वाले <sup>3</sup><br>एरेसे किसी अपराध (3<br>– | न्यायालय (न                | न्यायालयों) द्वारा                  | आरोप विरचित किया ग   | ाया है / किये गये हैं।                            |  |  |
|                        | (i)         |             |                                   | ामला (मामले) मेरे विरूद्ध<br>ये न्यायालय द्वारा आरोप                                      |                            |                                     |  | स से दण्डनीय किसी                                 |  |  |
|                        |             |             | (ক)                               | सम्बद्ध पुलिस थाना / जि<br>मामला / प्रथम सूचना रि   |                            |                                     | हेत  |   |  |  |
|                        |             |             | (ख)                               | सम्बन्धित अधिनियम (३<br>और अपराध (अपराधों)<br>(जिनके) लिये आरोपित                         | का संक्षि                  | प्त विवरण जिस्                      |  |   |  |  |

| (ग)  | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के<br>आदेश की तिथि  |  |
|------|---|--|
| (ঘ)  | न्यायालय (न्यायालयों) जिसके (जिनकें) द्वारा आरोप<br>(आरोपों) की विरचना की गई है।                        |  |
| (ভ.) | तिथि (तिथियों) जिसके आरोप विरचित किये गये थे  |  |
| (च)  | क्या सभी या कोई कार्यवाही (कार्यवाहियां) किसी सक्षम<br>अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं। |  |

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लम्बित है / हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {उपरोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:—

| (क) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के<br>आदेश की तिथि  |  |
|-----|---|--|
| (ख) | उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है,<br>अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध<br>(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए<br>आरोपित किया गया है। |  |
| (ग) | उपरोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण (यदि<br>कोई हों) के लिए दायर की गई अपील<br>(अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) के ब्यौरे  |  |

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 43) को धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) में आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष वहराया गया है / नहीं वहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है / नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया तथा दंडित किया गया है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और विधि न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

| (क) | उन मामलों के ब्यौरे सम्बद्ध अधिनियम (अधिनियमों)<br>की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का<br>संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष<br>ठहराया गया है। |  |
|-----|---|--|
| (ख) | न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और<br>आदेश (आदेशों) की तिथि (तिथियां)  |  |
| (ग) | अधिरोपित दंड  |  |
| (ঘ) | क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई<br>अपील दायर की गई थी / है। यदि हां, तो अपील<br>के ब्यौरे और वर्तमान स्थिति।                                  |  |

(7) कि मैं मेरे, मेरे पित या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (चल तथा अचल) आदि के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. चल आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणः 1.— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम से आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणः २.— जमा / निवेश की दशा में, क्रम संख्या, राशि, जमा की तिथि, स्कीम, बैंक / संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पणीः 3.— सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बंधपत्रों / शेयर डिवेचरों का मूल्य स्टाक एक्सचेजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए। टिप्पणीः 4.— यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 4) की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (v) में दिया गया है।

टिप्पणीः 5.– राशि सहित ब्यौरे प्रत्येक निवेश के सम्बन्ध में पृथकतया दिए जाने हैं।

| क्रम<br>संख्या | विवरण  | स्वंय | पति<br>पत्नी | या | आश्रित—1 | आश्रित—2 | आश्रित—3 |
|----------------|--|-------|--------------|----|----------|----------|----------|
| (i)            | हाथ नकदी   |       |              |    |          |          |          |
| (ii)           | बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है) वित्तीय संस्थाओं, गैर—बैकिंग वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में राशि |       |              |    |          |          |          |
| (iii)          | कम्पनियों / पारस्परिक<br>निधियों और अन्य में बंधपत्रों,<br>डिबेचरों / शेयरों तथा यूनिटों<br>में निवेश के ब्यौरे और राशि  |       |              |    |          |          |          |
| (iv)           | राष्ट्रीय बचत योजना, डाक<br>बचत, बीमा पालिसियों में<br>निवेश के ब्यौरे और डाकघर<br>या बीमा कम्पनी में किन्हीं<br>वित्तीय लिखतों में निवेश<br>और राशि   |       |              |    |          |          |          |
| (v)            | किसी व्यक्ति या हस्ती<br>जिसमें फर्म कम्पनी, न्यास<br>आदि सम्मिलित हैं, को दिए<br>गए वैयक्तिक ऋण/ अग्रिम<br>और ऋणियों से अन्य प्राप्य<br>तथा राशि  |       |              |    |          |          |          |
| (vi)           | मोटरयान / वायुयान / याट /<br>पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण<br>संख्या आदि क्रय करने का<br>वर्ष और राशि)   |       |              |    |          |          |          |
| (vii)          | जेवरात, बुलियन और<br>मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं)<br>(भार और मूल्य के ब्यौरे)  |       |              |    |          |          |          |
| (viii)         | कोई अन्य आस्तियां जैसे<br>दावों / हित का मूल्य   |       |              |    |          |          |          |
| (ix)           | समग्र कुल मूल्य  |       |              |    |          |          |          |

#### आ. अचल आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणः 1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणः 2. प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमैंट का इस प्रारूप में वर्णन किया जाना चाहिए।

| क्रम<br>संख्या | विवरण  | स्वयं | पति या<br>पत्नी | आश्रित—1 | आश्रित–2 | आश्रित—3 |
|----------------|--|-------|-----------------|----------|----------|----------|
| (i)            | कृषि भूमि की अवस्थिति<br>(अवस्थितियां)<br>सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)  |       |                 |          |          |          |
|                | क्षेत्र (एकड् में कुल माप)   |       |                 |          |          |          |
|                | क्या विरासत में आई सम्पति है<br>(हां या नहीं)  |       |                 |          |          |          |
|                | स्वार्जित सम्पति की दशा में क्रय<br>की तिथि  |       |                 |          |          |          |
|                | क्रय के समय भूमि की लागत<br>(क्रय की दशा में)  |       |                 |          |          |          |
|                | विकास, संनिर्माण इत्यादि के<br>माध्यम से भूमि पर कोई निवेश   |       |                 |          |          |          |
|                | अनुमानित चालू बाजार मूल्य  |       |                 |          |          |          |
| (ii)           | गैर कृषि भूमि अवस्थिति<br>(अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या<br>(संख्याएं)   |       |                 |          |          |          |
|                | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)   |       |                 |          |          |          |
|                | क्या विरासत में आई संपति है<br>(हां या नहीं)   |       |                 |          |          |          |
|                | स्वार्जित संपति की दशा में क्रय<br>की तिथि   |       |                 |          |          |          |
|                | क्रय के समय भूमि की लागत<br>(क्रय की दशा में)  |       |                 |          |          |          |
|                | विकास, संनिर्माण इत्यादि के<br>माध्यम से भूमि पर कोई निवेश   |       |                 |          |          |          |
|                | अनुमानित चालू बाजार मूल्य  |       |                 |          |          |          |
| (iii)          | वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित)<br>-अवस्थिति (अवस्थितियां)<br>-सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं) क्षेत्र<br>(वर्ग फुट में कुल माप) |       |                 |          |          |          |
|                | निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)   |       |                 |          |          |          |
|                | क्या विरासत में आई संपति है<br>(हां या नहीं)   |       |                 |          |          |          |
|                | स्वार्जित संपति की दशा में क्रय<br>की तिथि   |       |                 |          |          |          |
|                | क्रय के समय भूमि की लागत<br>(क्रय की दशा में)  |       |                 |          |          |          |
|                | विकास, संनिर्माण इत्यादि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश,   |       |                 |          |          |          |
|                | अनुमानित चालू बाजार मूल्य  |       |                 |          |          |          |

| (iv) | आवासीय भवन (अपार्टमेंट<br>सहित):—<br>अवस्थिति (अवस्थितियां)—सर्वेक्षण<br>संख्यांक (संख्याएं) क्षेत्र |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
|      | निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)   |  |  |  |
|      | क्या विरासत में आई संपति है<br>(हां या नहीं)   |  |  |  |
|      | स्वार्जित संपति की दशा में क्रय<br>की तिथि   |  |  |  |
|      | क्रय के समय सम्पत्ति की लागत<br>(क्रय की दशा में)  |  |  |  |
|      | विकास, संनिर्माण इत्यादि के<br>माध्यम से भूमि पर कोई निवेश   |  |  |  |
|      | अनुमानित चालू बाजार मूल्य  |  |  |  |
| (v)  | अन्य (जैसे सम्पत्ति में हित)   |  |  |  |
| (vi) | उपरोक्त (i) से (v) का कुल चालू<br>बाजार मूल्य  |  |  |  |

(8) मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों / देयों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :— (टिप्पणः कृप्या बैंक, संस्था, हस्ती या व्यष्टियों के नाम और प्रत्येक मद के समक्ष राशि के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

| क्रम<br>संख्या | विवरण  | स्वयं | पति या<br>पत्नी | आश्रित—1 | आश्रित—2 | आश्रित—3 |
|----------------|--|-------|-----------------|----------|----------|----------|
| (i)            | बैंक / वित्तीय संस्था<br>(संस्थाओं) को ऋण या देय<br>बैंक या वित्तीय संस्था का<br>नाम, बकाया राशि,      |       |                 |          |          |          |
|                | ऋण की प्रकृति उपरोक्त<br>वर्णित नाम (नामों) से भिन्न<br>किन्हीं अन्य व्यष्टियों/<br>हस्ती को ऋण या देय |       |                 |          |          |          |
|                | बकाया राशि, ऋण की<br>प्रकृति कोई अन्य दायित्व/<br>दायित्वों का कुल योग                                 |       |                 |          |          |          |
| (ii)           | सरकारी देयः<br>सरकारी आवास से<br>सम्बन्धित विभागों को देय  |       |                 |          |          |          |
|                | जल आपूर्ति से सम्बन्धित<br>विभागों को देय  |       |                 |          |          |          |
|                | विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित<br>विभाग को देय   |       |                 |          |          |          |
|                | टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति<br>से सम्बन्धित विभाग को देय  |       |                 |          |          |          |
|                | सरकारी परिवहन (वायुयान<br>और हैलीकाप्टर सहित) से<br>सम्बन्धित विभाग को देय                             |       |                 |          |          |          |

| क्रम<br>संख्या | विवरण  | स्वयं | पति या<br>पत्नी | आश्रित—1 | आश्रित—2 | आश्रित—3 |
|----------------|--|-------|-----------------|----------|----------|----------|
|                | आयकर देय   |       |                 |          |          |          |
|                | धनकर देय   |       |                 |          |          |          |
|                | सेवाकर देय   |       |                 |          |          |          |
|                | नगरपालिका / सम्पत्ति कर<br>देय   |       |                 |          |          |          |
|                | विक्रय कर देय  |       |                 |          |          |          |
|                | कोई अन्य देय   |       |                 |          |          |          |
| (iii)          | सभी सरकारी देयों का कुल<br>योग   |       |                 |          |          |          |
| (iv)           | क्या कोई अन्य दायित्व<br>विवादाधीन है, यदि हां, तो<br>अतंर्वलित राशि और<br>प्राधिकारी, जिसके समक्ष<br>यह लंबित है, का वर्णन<br>करें। |       |                 |          |          |          |

| (9)  | वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरेः            |
|------|--|
|      | (क) स्वयं                                |
|      | (ख) पति या पत्नी                         |
| (10) | मेरी शैक्षणिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है: |

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रकार का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दें तथा विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष, जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

### भाग–ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का सार :

| 1. | अभ्यर्थी                                    | का नाम   |   |                        | श्री / श्री | मती / कु.            |   |           |          |
|----|---|--|---|------------------------|-------------|----------------------|---|-----------|----------|
| 2. | डाक क                                       | ग पूरा पता   |   |                        |             |                      |   |           |          |
| 3. | नगरपारि                                     | लेका / परिषद् / र  | तमिति का न  | ाम                     |             |                      |   |           |          |
| 4. |   | जनैतिक दल क<br>को खड़ा कि<br>लिखें)  |   |                        |             |                      |   |           |          |
| 5. | जिनमें<br>से दण्ड                           | म्बत मामलों की<br>दो वर्ष या अधिव<br>जीय अपराधों के<br>ारोप विरचित कि                                    | क के काराव<br>लिये न्यायाव                                  | गस                     |             |                      |   |           |          |
|    | न्यायाल<br>है (उप                           | ामलों की कुल<br>य (न्यायालयों)<br>गरोक्त मद (i)<br>से भिन्न)   | ने संज्ञान ि  | 1या                    |             |                      |   |           |          |
| 6  | उहराया<br>उससे<br>और व<br>प्रतिनिधि<br>8 की | मलों की संख्या गया है तथा अधिक के लिये इंडित किया ग<br>येत्व अधिनियम,<br>उपधारा (1), (<br>अपराधों के सिव | एक वर्ष<br>1 कारावास<br>या है। (ल<br>1951 की ६<br>2) या (3) | या<br>से<br>गेक<br>गरा |             |                      |   |           |          |
| 7. | ————की<br>स्थायी लेखा<br>संख्या (पैन)       |  |   |                        |             | जिसके लि<br>विवरणी द |   | दर्शाई गई | कुल आय   |
|    | अभ्यः                                       | र्थी   | ( ,   | <u>'</u>               | गई है।      |                      |   |           |          |
|    | पति   | या पत्नी   |   |                        |             |                      |   |           |          |
|    | आि  | श्रेत  |   |                        |             |                      |   |           |          |
| 8. | आस्तिय                                      | ों और दायित्वों व  | के ब्यौरे (रूप  | ए में                  | )           |                      |   | ·         |          |
|    | विवरण                                       |  | स्वयं   | पति<br>पत्             | _           | आश्रित—1             | अ | ाश्रित—2  | आश्रित—3 |
| क. | चल आ<br>(कुल मृ                             |  |   |                        |             |                      |   |           |          |
| ख. |   | अचल आस्ति  |   |                        |             |                      |   |           |          |
|    | I   | स्वार्जित अचल<br>संपति की क्रय<br>कीमत   |   |                        |             |                      |   |           |          |
|    | II  | क्रय के<br>पश्चात् अचल<br>संपति की<br>विकास /<br>संनिमाण<br>लागत (यदि<br>लागू हो)                        |   |                        |             |                      |   |           |          |

|     | III                 | अनुमानित<br>वर्तमान बाजार<br>मूल्य   |               |                |  |                             |                    |                  |
|-----|---------------------|--|---------------|----------------|--|-----------------------------|--------------------|------------------|
|     |                     | (क) स्वार्जित<br>आस्तियां<br>(कुल मूल्य)<br>(ख) विरासती<br>आस्तियां<br>(कुल मूल्य) |               |                |  |                             |                    |                  |
| 9.  |                     | दायित्व  |               |                |  |                             |                    |                  |
|     | (i)                 | सरकारी देय<br>(कुल)  |               |                |  |                             |                    |                  |
|     | (ii)                | बैंक, वित्तीय<br>संस्थाओं और<br>अन्य से ऋण<br>(कुल)                                |               |                |  |                             |                    |                  |
| 10. | ऐसे दा              | यित्व जो विवादार्ध   | ोन है         |                |  |                             |                    |                  |
|     | (i)                 | सरकारी देय   |               |                |  |                             |                    |                  |
|     | (ii)                | बैंक, वित्तीय<br>संस्थाओं और<br>अन्य से ऋण<br>(कुल)                                |               |                |  |                             |                    |                  |
| 11. | (प्रमाणप<br>विद्याल | न शैक्षिक अर्हता—<br>मत्र / डिप्लोमा / डि<br>य / विश्वविद्यालय<br>म पूरा किया गय   | शिक्षा, विद्य | ग्रालय / महावि | <br>र्ग प्रकार का<br>द्यालय / विश्वविद्य | उल्लेख करते<br>गलय का नाम ३ | हुए उ<br>भौर वर्ष, | उच्चतम<br>जिसमें |

#### सत्यापन

मैं, उपरोक्त नामित अभिसाक्षी, इसके द्वारा, सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तू मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह और भी घोषणा करता हूं कि :--

- मेरे विरूद्ध उपरोक्त भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लेखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला लंबित नहीं है;
- मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपरोक्त भाग क की मद 8 और 9 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लेखित कोई आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति नहीं है।

|    |    | \ | ^ \    | \·           | $\sim$   |
|----|----|---|--------|--------------|----------|
| आज | 20 | क | दिन को | में सत्यापित | किया गया |

टिप्पणः 1 शपथपत्र नामांकनों की संविक्षा की तिथि वाले दिन दस बजे तक दायर किया जाना चाहिए।

- टिप्पणः 2 शपथपत्र पर किसी शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पणः 3 सभी खानों को भरा जाना चाहिए और कोई खाना खाली न छोडें। यदि किसी मद के संबंध में प्रस्तृत करने के लिए कोई जानकारी नहीं है, तो या तो "शून्य" या "लागू नहीं होता", जैसी भी स्थिति हो, उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पणः ४ शपथपत्र टंकित या सुपाठ्य तथा साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

### प्ररूप 1घ

| $\sim$  | $\Delta$ |      |
|---------|----------|------|
| । देखिए | ानराम    | 23ch |
| 14145   | 1 191    | 2097 |

|            |                          | / घोषणा, नामांकनों की संवीक्षा की तिथि को 10:00 बजे तक दायर किया जाना चाहिए।<br>पर किसी शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।  |
|------------|--------------------------|--|
|            |                          | अभिसाक्षी<br>  |
| आज         |                          | २०केदिन कोमें सत्यापित किया गया।   |
| विषय—वस्तु | मेरी सर्वो               | ्नामित अभिसाक्षी, इसके द्वारा, सत्यापन और घोषणा करता हूं./करती हूं कि इस शपथ–पत्र की<br>त्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और इसमें<br>1 छिपाया नहीं गया है।  |
| ۸.         |                          | सत्यापन  |
|            |                          | अभिसाक्षी  |
|            | (*)                      | IN TERM AND IN TRIBUTAL NUMBERS OF   |
|            | (v)                      | सम्बान्धत संस्था / बांड द्वारा जारा प्रमाण-पत्र का सहा संत्यापित प्रांत संलग्न है।<br>मेरे निवास स्थान पर कार्यशील शौचालय है।  |
|            |                          | <b>छोड़कर</b> )<br>सम्बन्धित संस्था / बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की सही सत्यापित प्रति संलग्न है।   |
|            |                          | मैने पांचवीं कक्षा पास की है (अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिला उम्मीदवार की दशा में, अध्यक्ष को  |
|            |                          | या   |
|            |                          | मैने मिडल कक्षा पास की है (किसी महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित उम्मीदवार की<br>दशा में)   |
|            |                          | या   |
|            | (iv)                     | मैने किसी मान्यताप्राप्त संस्था / बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास की है।   |
|            | (iii)                    | मैं बिजली बिलों के बकाया का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूं। सम्बन्धित विद्युत उपयोगिता से<br>देय प्रमाण–पत्र संलग्न है।   |
|            | (ii)                     | में किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी<br>कृषि ग्रामीण विकास बैंक के मेरी ओर देय किसी प्रकार के ब़कायों का भुगतान करने में असफल नहीं<br>रहा हूँ। उक्त संस्था (संस्थाओं) से बेबाकी प्रमाण–पत्र संलग्न है / हैं। |
|            | (:: <u>)</u>             | गये हैं।   |
|            | (i)                      | मैं किसी मामले में सिद्धदोष नहीं किया गया हूँ तथा किसी अपराधिक मामले, जिसमें दस वर्ष से कम<br>का कारावास न हो, से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा मेरे विरूद्ध आरोप नहीं लगाये   |
| (4)        |                          | :रियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 21 के अधीन दी गई निम्न में से कोई अयोग्यता<br>नहीं की है :—  |
| (3)        |                          | मेरे सम्पर्क टेलीफोन संख्याहै / हैं और मेरी ई–मेल आई डी (यदि कोई हो)है ।   |
| (2)        |                          | ामपर प्रविष्ट है।  |
|            | •                        | ो लागू न हो उसे काट दें)   |
| (1)        |                          | (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यार्थी हूं./ **एक स्वतंत्र अभ्यार्थी के<br>में लड़ रहा / रही हूं।   |
|            |                          | रती हूं, और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता / करती हूं  |
|            |                          | (पूरा डाक पता वर्णित करें) का / की निवासी हूं, उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यार्थी हूं, सत्यनिष्ठा   |
|            |                          | **पुत्र/पुत्री/पत्नीअयुअयुवर्ष   |
| की         | वार्ड / नि<br>या सम्बद्ध | र्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य के चुनाव के लिये रिटर्निंग अधिकारी के समक्षे नामांकन पत्र<br>ा, अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र / घोषणा।   |
| नगर        | पालिका /                 | / नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव् अथवा नगरपालिका / नगरपरिषद्  |
|            |                          | [देखिए नियम 23क]   |

टिप्पणः 3 सभी खाने भरे जाने चाहिए और कोई खाना खाली न छोड़ें। यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं करनी है, तो या तो "शून्य" या "लागू नहीं होता", जैसी भी स्थिति हो, वर्णित किया जाना चाहिए।

टिप्पणः ४ शपथपत्र / घोषणा या तो टंकित या सुपाठय तथा साफ—साफ लिखित होनी चाहिए।

[ देखिए नियम 39(2)] राज अधिकर्ज की निमन्ति

|         | मतदान आमकता का नियुक्त   |
|---------|--|
|         | नगरपालिका / नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका /   |
| नगरप    | रिषद्से सदस्य का चुनाव   |
|         | में उपर्युक्त निर्वाचन का उम्मीदवार इसके द्वारा  |
| पुत्र/  | पुत्रीपर/मतदान के लिए निश्चित स्थानपर/मतदान के लिए निश्चित स्थान   |
|         | पर उपस्थित होने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं।  |
| स्थान   |  |
| तिथि    | उम्मीदवार के हस्ताक्षर   |
|         | मैं ऐसे रूप में मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।  |
| स्थान   |  |
| तिथि    | मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर  |
|         | मतदान अभिकर्ता की घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं   |
|         | मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूं कि मै उपर्युक्त चुनाव में नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 द्वारा वर्जित कोई कार्य |
|         | रुरुंगा।   |
| तिथि    |  |
|         | मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर<br>मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए  |
|         | नर समझ हस्तादार । कर्  |
| तिथि    | पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर   |
|         | प्ररूप २क  |
|         | [देखिए नियम 39क]   |
|         | निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति  |
|         | नगरपालिका / नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका / नगरपरिषद्   |
|         | की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य का चुनाव   |
| सेवा मे |  |
|         | रिटर्निंग अधिकारी  |
|         |  |
|         |  |
|         | मैं उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार, इसके द्वारा श्री   |
|         |  |
| निर्वाच | न अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं।  |
|         |  |
| तिथि    | उम्मीदवार के हस्ताक्षर   |
|         | मैं उपरोक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूं।  |
| स्थान   |  |
| तिथि    |  |

### प्ररूप 2ख

[ देखिए नियम 39(ख)(2)]

# गणना अभिकर्ता की नियुक्ति

| नगरपालिका / न              | नगरपरिषद्<br>वन क्षेत्र संख्या से | के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका / नगरपरिषद्      |     |
|----------------------------|-----------------------------------|---|-----|
| का वाड / ।नवार<br>सेवा में | वन क्षेत्र संख्या स               | सदस्य का चुनाव                                      |     |
| सपा म                      | रिटर्निंग अधिकारी / पीठार         | اللب عالانجيارا                                     |     |
|                            |                                   |   |     |
|                            |                                   |   |     |
|                            |                                   |   |     |
| <del>Ϋ</del>               |                                   | /***निर्वाचन अभिकर्ता                               |     |
| जो उपरोक्त                 | निर्वाचन में उम्मीदवार है, इसवे   | हे द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को                 | में |
|                            | •                                 | ाना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं।           |     |
| गण                         | ाना अभिकर्ता का नाम               | गणना अभिकर्ता का पता                                |     |
| 1                          |                                   |   |     |
| 2                          |                                   |   |     |
| 3                          |                                   |   |     |
| 4                          |                                   |   |     |
| 5                          |                                   |   |     |
| 6                          |                                   |   |     |
| इत्यादि                    |                                   |   |     |
|                            |                                   |   |     |
|                            |                                   |   |     |
| स्थान                      |                                   |   |     |
| तिथि                       |                                   | <u>उम्मीदवार / निर्वाचन</u> अभिकर्ता के हस्ताक्षर** |     |
|                            |                                   |   |     |
|                            |                                   |   |     |
| हम ऐसे गणन                 | ना अभिकर्ताओं के रूप में कार्य    | करने के लिए सहमत है।                                |     |
| 1                          |                                   |   |     |
| 2                          |                                   |   |     |
| 3                          |                                   |   |     |
| 4                          |                                   |   |     |
| 5                          |                                   |   |     |
| 6                          |                                   |   |     |
| इत्यादि                    |                                   |   |     |
|                            |                                   |   |     |
|                            |                                   |   |     |
| स्थान :                    |                                   | ~ ( ) )   |     |
| तिथि :                     |                                   | गणना अभिकर्त्ताओं के हस्ताक्षर                      |     |

#### गणना अभिकर्ताओं की घोषणा

(रिटर्निंग अधिकारी / पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

हम, इसके द्वारा, घोषणा करते हैं कि उपरोक्त निर्वाचन में, हम हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24)

| की धारा 275 की<br>दिया गया है। | उपधारा | (1) तथ | T (2) | के अधीन | निषिद्ध | कुछ | भी | नहीं | करेंगे। | जिसे | हमने    | पढ़   | लिया     | है / हमें | पढ़  | कर | सुन |
|--------------------------------|--------|--------|-------|---------|---------|-----|----|------|---------|------|---------|-------|----------|-----------|------|----|-----|
| 1.                             |        |        |       |         |         |     |    |      |         |      |         |       |          |           |      |    |     |
| 2.                             |        |        |       |         |         |     |    |      |         |      |         |       |          |           |      |    |     |
| 3.                             |        |        |       |         |         |     |    |      |         |      |         |       |          |           |      |    |     |
| 4.                             |        |        |       |         |         |     |    |      |         |      |         |       |          |           |      |    |     |
| 5.                             |        |        |       |         |         |     |    |      |         |      |         |       |          |           |      |    |     |
| 6.                             |        |        |       |         |         |     |    |      |         |      |         |       |          |           |      |    |     |
| इत्यादि                        |        |        |       |         |         |     |    |      |         |      |         |       |          |           |      |    |     |
|                                |        |        |       |         |         |     |    |      |         |      |         | ^     | ٠ /٠     | `         |      |    |     |
| स्थान                          |        |        |       |         |         |     |    |      |         | गुण  | ाना अ   | भिक   | तोओ व    | के हस्ता  | क्षर |    |     |
| तिथि                           |        |        |       |         |         |     |    |      |         |      |         |       |          |           |      |    |     |
|                                |        |        |       |         |         |     |    |      |         | ì    | नेरे सा | मने इ | हस्ताक्ष | र किये    | गये  |    |     |
|                                |        |        |       |         |         |     |    |      |         |      |         |       |          |           |      |    |     |

रिटर्निंग अधिकारी / पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

#### \*\*अनुपयुक्त विकल्प काट दें।

धारा 275

- (1) प्रत्येक कर्मचारी, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो किसी निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या गिनने के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और उसके बनाए रखने में सहायता देगा और (किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के सिवाय) किसी व्यक्ति को कोई ऐसी जानकारी संसूचित नहीं करेगा, जिससे ऐसी गोपनीयता, भंग हो सकती है।
- (2) ऐसा कोई व्यक्ति जो जान बूझकर इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करता है, तीन मास की अनधिक अवधि के लिए किसी प्रकार के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित होगा।

# [ देखिए नियम 46(2)ग]

# आक्षेप किए गए मतों की सूची

| नगरपरिषद्                      | रपालियम् / गः<br>   | गरपारपप्<br>की वार्ड /                         | <br>′ निर्वाचन क्षे   | न्न संख्या                            | से स                                | अध्यदा प्रा<br>दस्य का चुनाव | युगाप अथपा                    | नगरपालिका/  |
|--------------------------------|---------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|
|                                |                     | ख्या   |   |                                       |                                     | · ·                          |                               |   |
| हस्त                           | ताक्षर शीट सं       | ख्या   |   |                                       |                                     |                              |                               |   |
| प्रविष्टि<br>की क्रम<br>संख्या | मतदाता<br>का<br>नाम | सूची में<br>मतदाता के<br>नाम की<br>क्रम संख्या | आक्षेप<br>किए गए<br>व्यक्ति के<br>हस्ताक्षर<br>या अंगूठे<br>का<br>निशान | आक्षेप<br>किए गए<br>व्यक्ति<br>का पता | पहचानकर्ता<br>यदि कोई हो,<br>का नाम | आक्षेपकर्ता<br>का नाम        | पीठासीन<br>अधिकारी<br>का आदेश | जमा राशि<br>वापिस प्राप्त<br>करने पर<br>आक्षेपकर्ता के<br>हस्ताक्षर |
| 1                              | 2                   | 3  | 4   | 5                                     | 6                                   | 7                            | 8                             | 9   |
|                                |                     |  |   |                                       |                                     |                              |                               |   |
|                                |                     |  |   |                                       |                                     |                              |                               |   |
|                                |                     |  |   |                                       |                                     |                              |                               |   |
|                                |                     |  |   |                                       |                                     |                              |                               |   |
|                                |                     |  |   |                                       |                                     |                              |                               |   |
|                                |                     |  |   |                                       |                                     |                              |                               |   |

| ताक्षर |
|--------|
| ₹      |

# [देखिए नियम 53(2)]

| नेत्रहीन | तथा | अशक्त | मतदाताओं | की | सूर्च |
|----------|-----|-------|----------|----|-------|
|          |     |       |          |    |       |

| नत्रहान तथा अशक्त मतदातांआ का सूचा |                               |                       |   |                   |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|-------------------|--|--|--|--|--|
| नगरपालिका /<br>नगरपरिषद्           | नगरपरिषद्की वार्ड/ निर्वाचन ध | <br>क्षेत्र संख्या से | के अध्यक्ष का चुनाव<br>। सदस्य का चुनाव | अथवा नगरपालिका /  |  |  |  |  |  |
|                                    | । संख्या / मतदान का स्था      |                       |   |                   |  |  |  |  |  |
| सूची में मतदाता<br>का क्रम संख्या  | मतदाता का पूरा नाम            | साथी का पूरा नाम      | साथी का पता                             | साथी के हस्ताक्षर |  |  |  |  |  |
| 1                                  | 2                             | 3                     | 4                                       | 5                 |  |  |  |  |  |
|                                    |                               |                       |   |                   |  |  |  |  |  |
|                                    |                               |                       |   |                   |  |  |  |  |  |
|                                    |                               |                       |   |                   |  |  |  |  |  |
|                                    |                               |                       |   |                   |  |  |  |  |  |
|                                    |                               |                       |   |                   |  |  |  |  |  |

| तिथि | पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर |
|------|------------------------------|

[ देखिए नियम 55(2)]

# निविदत्त मतों की सूची

|   | <b>N</b> |          |       |       |      |             |
|---|----------|----------|-------|-------|------|-------------|
| नगरपालिका / नगरपरिषद्                         | के       | अध्यक्ष  | का    | चुनाव | अथवा | नगरपालिका / |
| नगरपरिषद्की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्याकी | . से र   | नदस्य का | चुनाव | ī     |      |             |
| मतदान केन्द्र की संख्या / मतदान का स्थान      |          |          | _     |       |      |             |
|   |          |          |       |       |      |             |

| सूची में मतदाता का<br>क्रम संख्या तथा नाम | मतदाता का पता | निविदत्त मतपत्र की<br>क्रम संख्या | उस व्यक्ति को जारी<br>किए गए मतपर्ची की<br>क्रम संख्या जिसने<br>पहले मतदान कर<br>रखा है | मत डालने वाले<br>व्यक्ति के हस्ताक्षर या<br>अंगूठे का निशान |
|---|---------------|-----------------------------------|---|---|
| 1   | 2             | 3                                 | 4   | 5   |
|   |               |                                   |   |   |
|   |               |                                   |   |   |
|   |               |                                   |   |   |

| तिथि : पीठासीन अधिकारी के हस्ता | क्षर |
|---------------------------------|------|
|---------------------------------|------|

# [देखिए नियम 57]

### मतपत्र लेखा

| नगरप   | नगरपालिव<br>रिषद् | का / नगरप    | ारिषद्<br>की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या | के<br>से स  | अध्यक्ष का<br>दस्य का चुनाव | चुनाव अथवा      | नगरपालिका / |
|--------|-------------------|--------------|---|-------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
|        | मतदान के          | ज्द्र की सं  | ख्या / मतदान का स्थान                       |             |                             |                 |             |
|        |                   |              |   | क्रम संख्या |                             | कुल संख्या      |             |
|        | (1)               | प्राप्त हुये | मत पत्र                                     |             |                             |                 |             |
|        | (2)               | अप्रयुक्त    | मत पत्र                                     |             |                             |                 |             |
|        |                   | (ক)          | पीठासीन अधिकारी, यदि कोई                    |             |                             |                 |             |
|        |                   |              | हो, के हस्ताक्षर से, तथा                    |             |                             |                 |             |
|        |                   | (ख)          | पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर                   |             |                             |                 |             |
|        |                   |              | के बिना।                                    |             |                             |                 |             |
|        | (3)               | मतदाताः      | ओं को जारी किए गए मतपत्र                    |             |                             |                 |             |
|        | (4)               | रद्द कि      | ए गए मतपत्र                                 |             |                             |                 |             |
|        |                   | (क)          | मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए           |             |                             |                 |             |
|        |                   | (ख)          | किसी अन्य कारण से                           |             |                             |                 |             |
|        | (5)               | निविदत्त     | मतपत्रों के रूप में प्रयुक्त मतपत्र         |             |                             |                 |             |
|        | (6)               | मतपत्र उ     | जो मतपेटी में होने चाहिए।                   |             |                             |                 |             |
|        |                   |              |   |             |                             |                 |             |
| 00     |                   |              |   | 0           |                             | 0 \             |             |
| ातीर्थ |                   |              |   | पी          | ाठासीन अधिका                | रा के हस्ताक्षर |             |

[ देखिए नियम 60(2)]

# (मतों की गणना करने के बाद भरा जाएगा)

|              |                            | मतपत्रा का गणन  | ויסו אישע  |                 |
|--------------|----------------------------|---|--|-----------------|
| नगरपा        | रेषद्<br>मतदान केन्द्र संख | गरपरिषद्की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्या<br>या                                      | के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपाि<br>से सदस्य का चुनाव | नका ∕           |
| I            | क्रम संख्या                | उम्मीदवार का नाम  | डाले गये वैध मतों की संख्या                          |                 |
|              | 1.                         |   | <u></u>  |                 |
|              | 2.                         |   |  |                 |
|              | 3.                         |   |  |                 |
|              | 4.                         | इत्यादि   |  |                 |
| II.          | रद्द किए गए                | मतपत्र  |  |                 |
| III.         | कुल संख्या                 |   |  |                 |
| IV.<br>मिलती |                            | संख्या III में दर्शाए गये मतपत्रों की संख<br>ांकड़ों में कोई विसंगति ध्यान में आई है। | या प्ररूप 6 में मद संख्या 6 के सामने दर्शाई गई संर   | ड्या स <u>े</u> |
| तिथि         |                            |   | पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर                         |                 |

[देखिए नियम 62, 69प (2) (ग), 69फ (1), तथा 69(ब)(2)]

# गणना किए गए मतपत्रों के समेकन लेखा का प्ररूप

| नग्<br>नगरपरिषद            | ारपालिका / न<br>र्   | गरपरिषद् .<br>की वार्ड        | / f | नेर्वाच <sup>्</sup> | <br>न क्षेत्र | <br>त्र संख | <br>या |     |   | के<br>. से सद | अध्यक्ष<br>स्य का | का चुनाव<br>चुनाव             | अथवा                                 | नगरपालिका /                    |
|----------------------------|--|-------------------------------|-----|----------------------|---------------|-------------|--------|-----|---|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| मतदान<br>केन्द्र<br>संख्या | मतपेटी<br>(पेटियों) /<br>इलैक्टॉनिक<br>मतदान<br>मशीन<br>(मशीनों) में<br>पाये गये<br>कुल मत | निविदत्त<br>मतों की<br>संख्या |     |                      | उर्म्म        | ोदवार       | िक वै  | ध म | त |               | कुल<br>वैध<br>मत  | अस्वीकृत<br>मतों की<br>संख्या | मतों के<br>लिए<br>''नोटा''<br>विकल्प | वैध तथा<br>अस्वीकृति<br>कुल मत |
|                            |  |                               | क   | ख                    | ग             | घ           | ड़     | च   | ਬ | ज             |                   |                               |                                      |                                |
| 1                          |  |                               |     |                      |               |             |        |     |   |               |                   |                               |                                      |                                |
| 2                          |  |                               |     |                      |               |             |        |     |   |               |                   |                               |                                      |                                |
| 3                          |  |                               |     |                      |               |             |        |     |   |               |                   |                               |                                      |                                |
| 4                          |  |                               |     |                      |               |             |        |     |   |               |                   |                               |                                      |                                |
| 5                          |  |                               |     |                      |               |             |        |     |   |               |                   |                               |                                      |                                |
| इत्यादि                    |  |                               |     |                      |               |             |        |     |   |               |                   |                               |                                      |                                |
| कुल                        |  |                               |     |                      |               |             |        |     |   |               |                   |                               |                                      |                                |
|                            | •  | -                             |     | •                    |               |             | •      |     |   |               | •                 |                               | •                                    | •                              |

| स्थान |                   |
|-------|-------------------|
| तिथि  | रिटर्निंग अधिकारी |

# [ देखिए नियम 50क (1)] चिन्निंग अधिकारी को सचना

|                                     | रिटोनेंग अधिकारी को सूचना पत्र  |
|-------------------------------------|---|
| सेवा में                            | •   |
|                                     | रिटर्निंग अधिकारी,  |
|                                     | वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र, संख्या  |
|                                     | नगरपालिका / नगरपरिषद्   |
| महोदय,                              |   |
|                                     | मैं नगरपालिका/ नगरपरिषद्के अध्यक्ष के चुनाव अथवा<br>गरपरिषद्से सदस्य के चुनाव के लिये अपना  |
| नगरपालिका / नः<br>मतपत्र डाक द्वारा |   |
|                                     | मुझे नगरपालिका / नगरपरिषद् में<br>क्षेत्र के मतदान केन्द्र (संख्या तथा नाम) पर् निर्वाचन डयूटी पर तैनात किया गया है। मेरा   |
| वार्ड / निर्वाचन १                  | क्षेत्र के मतदान केन्द्र (संख्या तथा नाम) पर निर्वाचन डयूटी पर तैनात किया गया है। मेरा<br>वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र केवार्ड / निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्यावार्ड / |
| नामपर प्रविष्ट                      |   |
|                                     | मुझे मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजा जाए :—   |
|                                     |   |
|                                     |   |
|                                     |   |
|                                     |   |
|                                     |   |
|                                     |   |
|                                     | भवदीय,  |
| स्थान :                             |   |
| तिथि :                              | ()  |
|                                     |   |

# [देखिए नियम 69 ढ़ (1)]

# निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

| 0                          | नगरपालिका / नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका   | /       |
|----------------------------|--|---------|
| •                          | से सदस्य का चुनाव  |         |
| सेवा में                   | रिटर्निंग अधिकारी,   |         |
|                            |  |         |
|                            |  |         |
|                            |  |         |
| श्रीमान जी,                |  |         |
|                            | रोक्त वार्ड के आगामी निर्वाचन में निजी रूप में अपना मत डालना चाहता हूं। मेरा नाम उपरोक्त वार्ड<br>निर्वाचक नामावली के भाग संख्यापुरा में कम संख्यापुरा पुर दर्ज है।  | /       |
|                            | ्र निर्वाचन क्षेत्र संख्यामतद<br>मतद पर निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात किया गया हूं।   | ान      |
| मैं अनु<br>निर्वाचन ड्यूटी | रोध करता हूं कि मुझे प्ररूप 13 में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण—पत्र मतदान केन्द्र, जहां पर मैं मतदान के वि<br>पर रहूंगा, में मतदान हेतु समर्थ बनाने के लिए जारी किया जाये। यह मुझे निम्नलिखित पते पर भेजा जाये :- | ;न<br>- |
|                            |  |         |
|                            |  |         |
|                            |  |         |
|                            |  |         |
|                            | <del></del>  |         |
|                            |  |         |
|                            | भवदीय,   |         |
|                            |  |         |
| तिथि :                     | (आवेदक का नाम)   |         |

# [ देखिए नियम 69छ, 69ज(7), 69ड, 69त(1)(ख) तथा 69भ(1)(ड़), फार्म 18] मतदाताओं का रजिस्टर

| नगरपालिका / नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका / नगरपरिषद् |  |
|--|--|
| की वार्ड / निर्वाचन–क्षेत्र संख्या से सदस्य का चुनाव                 |  |
|  |  |
| मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम                                      |  |
| मतदाता सूची की भाग संख्या  |  |
|  |  |

| क्रम संख्या | निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की<br>क्रम संख्या | निर्वाचक के हस्ताक्षर /<br>अंगूठा निशान | टिप्पणी |
|-------------|---|---|---------|
| 1           |   |   |         |
| 2           |   |   |         |
| 3           |   |   |         |
| 4           |   |   |         |
| 5           |   |   |         |
| इत्यादि     |   |   |         |

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

# [ देखिए नियम 69ड, 69ढ़(1)(क) तथा 69त(1)(ड़)] निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र

| मे निव<br>कारण वह मत | गत किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी<br>म/पुत्री/ पत्नीर्ग<br>र्याचक है, उसकी निर्वाचक नामावली संख्या<br>दान केन्द्र, जहां वह मत देने का हकदार है,<br>तें, जहां वह मतदान की तिथि को डयूटी पर हो | है,<br>में मत देने में असमर्थ | जोकि उसके निर्वाचन ड्यूटी<br>है और इसलिए इसके द्वारा | पर होने के |
|----------------------|---|-------------------------------|--|------------|
| स्थान                |   | रिटि                          | र्नैग अधिकारी के हस्ताक्षर                           |            |
|                      |   |                               | मोहर   |            |
|                      |   |                               |  |            |

<sup>\*</sup> समुचित ब्योरे दिये जायें।

[ देखिए नियम 69ढ(4)(क) तथा (6) (ख) तथा (ग) और प्ररूप 17 ]

### डाक मतपत्र के प्रयोग के लिये निर्वाचक द्वारा घोषणा

|   | ा हं जब निवासक स्वयं घाषणा पर हस्ताक्षर करता हं)<br>के अध्यक्ष का नामन अध्यक्ष नामानिका / नामानिका |
|---|--|
| नगरपालका/ नगरपारपद्की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या से र   | के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका / नगरपरिषद्<br>नदस्य का चनाव                                    |
|   | चक हूं जिसेकम संख्या वाला डाक  |
| मतपत्र उपरोक्त निर्वाचन में जारी किया गया है।   |  |
|   |  |
| तिथि  | निर्वाचक के हस्ताक्षर  |
|   | पता  |
|   |  |
| हस्ताक्षर र   | का अनुप्रमाणन  |
|   | निर्वाचक) द्वारा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं जो मुझे                                    |
| व्यक्तिगत रूप में जानता है/जिसेजो व्यक्तिगत रूप में मुझे जानता है।                                  | (पहचानकर्ता) द्वारा मेरी सन्तुष्टि के लिए पहचाना है  |
| पहचानकर्ता के हस्ताक्षर   | अनुप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर  |
| यदि कोई हो  | पदनाम  |
| पता   | पता  |
|   |  |
|   | तिथि   |
| •   | है जब निर्वाचक स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकता)   |
| में, इसके द्वारा, घोषणा करता हूं कि मैं वह निव<br>मतपत्र उपरोक्त निर्वाचन में जारी किया गया है।     | चिक हूं जिसे   |
| तिथि  | निर्वाचक की ओर से अनुप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर  |
|   | निर्वाचक का पता  |
|   |  |
|   | प्रमाणपत्र   |
| मैं, इसके द्वारा, प्रमाणित करता हूं कि. –   |  |
| (1) उपरोक्त नामित निर्वाचक व्यक्तिगत रूप से मुझे<br>सन्तुष्टि के लिए पहचाना है जो व्यक्तिगत रूप में | ने जानता है जिसे (पहचानकर्ता) द्वारा मेरी<br>मुझे जानता है।  |
| (2) मुझे विश्वास है कि निर्वाचक निरक्षर है जो<br>करने में या अपनी घोषणा हस्ताक्षर करने में असमध्    | (अशक्तता) से पीड़ित है और अपना मत स्वयं अभिलिखित<br>र्थ है।  |
| (3) उसने मुझसे उसकी ओर मतपत्र चिहिनत करने औ   | र उपर्युक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने की प्रार्थना की थी।  |
| (4) मैंने उसकी उपस्थिति में और उसकी इच्छा के 3<br>थी।   | अनुसार उसकी ओर से मतमत्र चिहिनत और घोषणा हस्ताक्षरित की  |
| पहचानकर्ता के हस्ताक्षर   | सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर   |
| यदि कोई हो  | पदनाम  |
| पता   | पता  |
|   |  |
|   | तिथि   |

[ देखिए नियम 69ढ(4) (ख) तथा (6) (क)]

# लिफाफा "क"

| गणना से पूर्व नहीं खोला जाना है  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| नगरपालिका / नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा                           |  |  |  |  |  |  |
| नगरपालिका / नगरपरिषद्की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्यासे सदस्य का चुनाव |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| डाक मतपत्र   |  |  |  |  |  |  |
| डाक मतपत्र की क्रम संख्या  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

[ देखिए नियम 69ढ 4(ग)]

# बड़ा लिफाफा "ख"

| नगरपालिका / नगरपरिषद्<br>नगरपरिषद्की वार्ड / निर्वाचन क्षे                 | के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/<br>तेत्र संख्या से सदस्य के चुनाव में प्रयोग किया जाये। |
|--|---|
| लिफाफा ''ख''   | बिना सरकारी टिकट  |
| प्रत्येक अधिकारी जिसकी देखरेख में या वितरण सुनिश्चित करेगा। {नियम 50क (4)} | जिसके द्वारा डाक मतपत्र भेजा जाता है वह अविलम्ब पते पर इसका                                 |
| डाक मतपत्र   | <u>निर्वाचन–अविलम्ब</u>   |
|  |   |
| नगरपालिका / नगरपरिषद्की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्या                    | से सदस्य के चुनाव के लिये।  |
|  | पूर्व नहीं खोला जाना है)  |
| सेवा में<br>रिटर्निंग अधिकारी  |   |
| **   |   |
|  |   |
|  |   |
| भेजने वाले के हस्ताक्षर  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

<sup>\*\*</sup> रिटर्निंग अधिकारी यहां पर पूरा पता वर्णित करें।

[ देखिए नियम 69ढ (४)(घ) तथा (६)(क) तथा (ग) तथा 69ब(1) ]

#### डाक मतपत्र का प्रयोग करने के लिए निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए हिदायतें

| नगरपालिका / नगरपरिषद्   | के   | अध्यक्ष    | का       | चुनाव     | अथवा       | नगरपालिका / |
|---|------|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| नगरपरिषद्की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्या                       | . से | सदस्य का   | चुनाव    | Ü         |            |             |
| व्यक्ति जिन के नाम इसके साथ भेजे गये मतपत्र पर मुद्रित हैं        | वे र | उपरोक्त नि | नेर्वाचन | में उम्मी | दिवार हैं। | । यदि आप    |
| मत देना चाहते हो, तो आप नीचे भाग-I में दिये गये निदेशों के अनुसार |      |            |          |           |            |             |

#### भाग- I

#### निर्वाचकों के लिए अनुदेश

- 1. निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है।
- 2. आपका केवल एक मत है।

में विस्तृत अनुदेशों का अनुसरण करेंगे।

- आपको एक से अधिक उम्मीदवार के लिए मत नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे, तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- 4. उम्मीदवार जिसको आप अपना मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने स्पष्ट रूप से चिह्न लगाते हुये मत अभिलिखित करें।
- 5. चिह्न इस प्रकार लगाया जाएगा जो उम्मीदवार जिसको आप अपना मत दे रहे हैं को स्पष्ट रूप से सूचित करें तथा सन्देह के परे हो। यदि चिह्न इस प्रकार लगया गया है जो उम्मीदवार जिसको आपने अपना मत दिया है को सन्देहपूर्ण बनाता है तो आपका मत अवैध हो जाएगा।
- 6. चिह्न जो मतपत्र पर आपको पैरा 4 के अनुसार उस पर करने अपेक्षित हैं, के सिवाय अपने हस्ताक्षर न करें या कोई शब्द न लिखें या कोई चिह्न न लगाएं, हस्ताक्षर या लिखित में कुछ भी ना करें।
- 7. निर्वाचक प्ररूप–14 में घोषणा पर अपने हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणन मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से करवाएगा, यदि वह निर्वचान डयूटी पर है, तो किसी राजपत्रित अधिकारी से या मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी से जिस में वह निर्वाचन डयूटी पर है।

#### भाग- II

#### निर्वाचकों के लिए अनुदेश

- (क) आपको मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात मतपत्र को इसके साथ भेजे गये ''क'' चिहिनत छोटे लिफाफे में रखे। लिफाफे को बन्द कर दें और उसे मोहर लगाकर या अन्यथा सुरक्षित कर दें।
- (ख) इसके उपरान्त आप इसके साथ भेजी गई प्ररूप—14 में घोषणा भी मजिस्ट्रेट या किसी अन्य अधिकारी जो आपके हस्ताक्षर सत्यापन करने में सक्षम हो (देखिए उपरोक्त अनुदेश 7) की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हैं। घोषणा ऐसे अधिकारी के पास ले जाएं और उसकी आपकी पहचान के बारे में सन्तुष्टि होने के बाद उसकी उपस्थिति में इसे हस्ताक्षर करें। अधिकारी घोषणा पर आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करेगा तथा आपको लौटाएगा। आपको अपना मतपत्र अनुप्रमाणन अधिकारी को न तो दिखाना है और न ही उसे बताना है कि आपने किस प्रकार मत दिया है।
- (ग) यदि आप निक्षरता, अन्धेपन या अन्य अशक्तता के कारण उपरोक्त सूचित रीति में स्वयं मतपत्र चिहिनत करने और अपनी घोषणा हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं, तो आप मद (ख) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आपकी ओर से आपका मत चिहिनत करने और घोषणा हस्ताक्षरित करने के लिये हकदार हैं। ऐसा अधिकारी आपकी प्रार्थना पर आपकी उपस्थित में और आपकी इच्छा के अनुसार मतपत्र को चिहिनत करेगा। वह इस निमित आवश्यक प्रमाण–पत्र भी पूरा करेगा।
- (घ) आपकी घोषणा हस्ताक्षरित किए जाने और आपके हस्ताक्षर मद (ख) या मद (ग) के अनुसार अनुप्रमाणित किए जाने के पश्चात प्ररूप—14 में घोषणा, मतपत्र अन्तर्विष्ट करने वाले ''क'' चिह्नित छोटे लिफाफे, ''ख'' चिह्नित बड़े लिफाफे में रखे। बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात उसे डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को भेज दें। आपको चिह्नित लिफाफे पर उपलब्ध स्थान पर पूरे हस्ताक्षर करने हैं। आप द्वारा कोई भी डाक टिकट लगानी आवश्यक नहीं है।
- (ङ) आप सुनिश्चित कर लें कि लिफाफा चुनाव अधिकारी के पास......\*\* को.....\*\* को.....बजे से पूर्व पहुंच जाए।
- (च) कृपया यह भी ध्यान रखें कि :--
  - (i) यदि आप अपनी घोषणा उपरोक्त निर्दिष्ट रीति में अनुप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं, तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा ; तथा
  - (ii) यदि लिफाफा रिटर्निंग अधिकारी के पास......को.....को.......बजे के पश्चात पहुंचेगा तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी।

<sup>\*\*</sup> यहां मतगणना के प्रारंभ के लिए नियत समय और तिथि विनिर्दिष्ट करें।

# [ देखिए नियम 69थ (1), 69 द(1) (ii), 69प (2) (क) तथा (ख), 69फ (1) ] भाग I — अभिलेखित मतों का लेखा

| नगरप   | नगरपा<br>रिषद            | लेका / नगरपरिषद्की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्याकी वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्या | के<br>से उ | अध्यक्ष<br>सदस्य का | का<br>चनाव | चुनाव   | अथवा     | नगरपालिका / |  |
|--------|--------------------------|--|------------|---------------------|------------|---------|----------|-------------|--|
|        |                          | केन्द्र की संख्या तथा नाम  | ••         |                     | J          |         |          |             |  |
|        |                          | केन्द्र पर प्रयोग की गई मतदान मशीन की पहचान संख्या                                   |            |                     |            |         |          |             |  |
|        |                          | । यूनिट  |            |                     |            |         |          |             |  |
|        |                          | यूनिट  |            |                     |            |         |          |             |  |
|        | 1.                       | मतदान केन्द्र के नियत निर्वाचकों की कुल संख्या                                       |            |                     |            |         |          |             |  |
|        | 2.                       |  |            |                     |            |         |          |             |  |
|        | 3.                       |  |            |                     |            |         |          |             |  |
|        | <b>3.</b><br>4.          |  |            |                     |            |         |          |             |  |
|        | 4.<br>5.                 | मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या।                                    |            |                     |            |         |          |             |  |
|        | 6.                       |  |            |                     |            |         |          |             |  |
|        | 7.                       | उन मतदाताओं की संख्या जिनको निविदत्त मतपत्र नियम 55 के अधीन जारी किए गए थे।          |            |                     |            |         |          |             |  |
|        | 8.                       | निविदन्त मतपत्रों की संख्या।   |            |                     |            |         |          |             |  |
|        | क्रम संख्या              |  |            |                     |            |         |          |             |  |
|        |                          | तक   |            |                     |            |         |          |             |  |
|        | (क) उपयोग के लिए प्राप्त |  |            |                     |            |         |          |             |  |
|        |                          | (ख) निर्वाचकों को जारी किए गए  |            |                     |            |         |          |             |  |
|        |                          | (ग) प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए   |            |                     |            |         |          |             |  |
|        | 9.                       | कागज की सीलों का लेखा  |            |                     |            |         |          |             |  |
|        |                          | क्रम संख्या  |            |                     |            |         |          |             |  |
|        |                          | तक   | -          | मतदान अ             | भिकर्ताः   | ओं के ह | स्ताक्षर |             |  |
| 1.     | दी गई                    | कागज की सीलों  |            | 1                   |            |         |          |             |  |
| की क्र | म संख्या                 | से तक  | :          | 2                   |            |         |          |             |  |
| 2.     | दी गई                    | सीलों की कुल संख्या  | ;          | 3                   |            |         |          |             |  |
| 3.     | प्रयुक्त                 | कागज की सीलों की संख्या  |            | 4                   |            |         |          |             |  |
| 4.     | रिटर्निंग                | अधिकारी को वापस की   |            | 5                   |            |         |          |             |  |
|        | गई अप्र                  | ायुक्त कागज की सीलों की  |            | 6                   |            |         |          |             |  |
|        | संख्या                   | (मद 2 से मद 3 निकाल दें)   | -          | 7                   |            |         |          |             |  |
| 5.     | नष्ट हुः                 | ई कागज की सीलों की क्रम  |            |                     |            |         |          |             |  |
|        | संख्या,                  | यदि कोई है।  |            |                     |            |         |          |             |  |
| तिथि . |                          |  | 1          | पीठासीन :           | अधिका      | री के ह | स्ताक्षर |             |  |
| स्थान  |                          |  | -          | मतदान के            | न्द्र संर  | या      |          |             |  |

| भाग II—मतगणना का परिणाम |  |   |  |  |  |  |
|-------------------------|--|---|--|--|--|--|
| क्रम संख्या             | उम्मीदवार का नाम   | अभिलिखित मतों की संख्या   |  |  |  |  |
| 1                       | क  |   |  |  |  |  |
| 2                       | ख  |   |  |  |  |  |
| 3                       |  |   |  |  |  |  |
| 4                       |  |   |  |  |  |  |
| 5                       | उपरोक्त में से कोई न   | हीं   |  |  |  |  |
| <u></u>                 |  |   |  |  |  |  |
| कुल                     |  |   |  |  |  |  |
| क्या<br>मेल खाती हैं    | उपरोक्त दर्शाए गए मतों की कुल संख्या भ<br>या दोनों योगों में कोई विसंगति ध्यान में आ | ाग I की मद संख्या 5 के सामने दर्शाए गए मतों की कुल संख्या से<br>ई है। |  |  |  |  |
| स्थान                   |  |   |  |  |  |  |
| तिथि                    |  | गणना पर्यवेक्षक / पीठासीन अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर                   |  |  |  |  |
| उम्मीदवार /             | निर्वाचन अभिकर्ता / गणना अभिकर्ताओं के न   | ाम  |  |  |  |  |
| 1                       |  |   |  |  |  |  |
| 2                       |  |   |  |  |  |  |
| 3                       |  |   |  |  |  |  |
| 4                       |  |   |  |  |  |  |
| 5                       |  |   |  |  |  |  |
| 6                       |  |   |  |  |  |  |
| 7                       |  |   |  |  |  |  |

.....

एस० एन० राय, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

रिटर्निंग अधिकारी / पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर "।

[Authorised English Translation]

#### HARYANA GOVERNMENT

#### URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

#### **Notification**

The 30th October, 2020

No. S.O. 52/H.A. 24/1973/S.257&S. 276/2020.— In exercise of the powers conferred by clauses (c) to (g) of sub-section (1) sub-sections (2), (4) and (7) of section 257 and section 276 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department Notification No. 2/1/2019-R-II, dated 17th December, 2019, the Governor of Haryana in consultation with the State Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Election Rules, 1978, namely:-

- 1. These rules may be called the Haryana Municipal Elections (Amendment) Rules, 2020.
- 2. In the Haryana Municipal Election Rules, 1978 (hereinafter called the said rules), in rule 2, in clause (h), for the words "the members", the words "the president and members" shall be substituted.
- 3. In the said rules, in rule 21,-
  - (i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely: "Disqualifications for President and members";
  - (ii) in sub-rule (i),-
    - (a) for the words "as a member", the words "as president or a member" shall be substituted;
    - (b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:"hold any office of profit under the committee and the State Government";
    - (c) in the second proviso to clause (p), for the words "qualification shall be 5th pass", the words "qualification for members excluding president shall be 5th pass" shall be substituted;
  - (iii) In sub-rule (4), for the words "whether a member", the words "whether the president or a member" shall be substituted.
- **4.** In the said rules, in rule 23-,
  - (i) in sub-rule (1), for the words "for membership of the committee", the words "for president or member of the committee" shall be substituted;
  - (ii) for sub rule (4), the following sub-rule shall be substituted namely:-
    - "(4) Nothing in this rule shall prevent any candidate from being nominated by more than one nomination paper for election of president or member in the same constituency:

Provided that not more than four nomination papers shall be presented by or on behalf of any candidate or accepted by the Returning Officer for election of president or member in the same constituency.

- 5. In the said rules, in rule 24,-
  - (i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
    - "(1) The nomination paper of a candidate shall not be deemed to have been duly delivered unless at the time of delivery of the same under rule 23, the candidate has either deposited or causes to be deposited a sum shown in the table below with the Returning Officer in cash or enclose with the nomination paper a receipt showing that the said sum has been deposited in the Government treasury, or Government promissory notes of equal value at the market rate of the day:-

#### **TABLE**

| Class of<br>Committee  | Amount of deposit  |          |  |          |  |  |
|------------------------|--|----------|--|----------|--|--|
|                        | If the candidate is not a member of<br>Scheduled Caste, Backward Class or a<br>Woman |          | If the candidate is a member of<br>Scheduled Caste, Backward Class or a<br>woman |          |  |  |
|                        | President  | Member   | President  | Member   |  |  |
| Municipal<br>Council   | ₹ 3000/-   | ₹ 2000/- | ₹ 1500/-   | ₹ 1000/- |  |  |
| Municipal<br>Committee | ₹ 2000/-   | ₹ 1000/- | ₹ 1000/-   | ₹ 500/-  |  |  |

Provided that where a candidate has been nominated by more than one nomination papers for election of president or member in the same constituency, not more than one deposit shall be required of him under this sub-rule".

- (ii) in sub-rule (4), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-
  - "Provided that if a candidate has filed a nomination paper at an election of president or member in more than one constituency, not more than one of the deposits made by him or on his behalf, shall be returned and the remainder shall be forfeited by the State Government.".
- **6.** In the said rules, for rule 31, the following rule shall be substituted, namely:-
  - **"31. Candidate deemed to be elected if the number is one.-** (1) If there is only one candidate for President or member in any constituency, the Returning Officer shall declare such candidate to be duly elected to fill the vacancy.
  - (2) If there is no candidate to be elected, the State Election Commissioner shall frame fresh election programme under rule 19 to elect person to fill the vacancy.".
- 7. In the said rules, for rule 32, the following rule shall be substituted, namely:-
  - **"32.** Poll to be taken if number of candidates is more than number of vacancies.-If the number of contesting candidates for president or member in any constituency is more than one, a poll shall be taken.".
- 8. In the said rules, in rule 33, for the words "a member", the words "president or member" shall be substituted.
- 9. In the said rules, in rule 62, for the words "if no fresh poll is required to be held in that constituency", the words "if no fresh poll is required to be held for president and member in that constituency" shall be substituted.
- 10. In the said rules, for rule 70, the following rule shall be substituted, namely:-
  - **"70.** Time line for Oath of allegiance and election of vice-president.- (1) Unless the State Government otherwise directs, the Deputy Commissioner or any gazetted officer appointed by him in this behalf shall, within thirty days of the publication of the notification of the names of the president and members elected to a committee, convene the first meeting of the newly constituted committee at forty-eight hours' notice to be delivered at their ordinary place of residence to administer an oath of allegiance under section 24. The notice shall clearly state that the oath of allegiance shall be administered to the president and members present.
  - (2) The Deputy Commissioner or any gazetted officer appointed by him in this behalf shall, within a period of thirty days of the meeting referred to in sub-rule (1), convene a meeting of the president and members at forty-eight hours notice to be delivered at their ordinary place of residence. The notice shall clearly state that the oath of allegiance shall be administered to the left over members and that the election of the vice-president shall be held in the meeting. The convener shall firstly administer the oath of allegiance to the left over members and thereafter shall preside over the meeting of the election of vice-president.
  - (3) If the president and members fail to elect the vice-president in the meeting convened under sub-rule (2), the Deputy Commissioner or any gazetted officer appointed by him in this behalf shall, within a period of thirty days of the meeting referred to in sub-rule (2), convene meeting of the president and members for the election of the vice-president as per the procedure mentioned above until the vice-president are elected.
  - (4) If the president and members fail to elect the vice-president in the meetings convened under sub-rule (2) or (3) till the expiry of five months from the date of notification of elected president and members by the State Election Commission, the Deputy Commissioner or any gazetted officer appointed by him in this behalf shall, convene a meeting of the president and members for the election of vice-president at forty-eight hours' notice to be delivered at their ordinary place of residence. The notice shall clearly state that if the members fail to elect the vice-president in the meeting, the committee shall be deemed to have been dissolved without any further notice or order.
  - (5) Notwithstanding anything contrary to the Act or rules, if the president and members fail to elect the vice-president in the meetings convened after following the procedure provided under aforesaid provisions till the expiry of six months from the date of notification of the elected president and members, the committee shall be deemed to be dissolved with immediate effect without following any procedure provided under the Act or rules made there under:

Provided that such meetings shall be deemed to be validly convened meetings of the committee.

(6) Notwithstanding anything contained in any bye-laws made under section 31, the administration of the oath of allegiance and the election of the vice-president shall be recorded as part of the proceedings in the minutes of the meetings.".

- 11. In the said rules, after rule 70, the following rule shall be inserted, namely:-
  - **"70 A.** Reservation of office of president.- The office of the president in the municipalities shall be filled through direct election by the electors from amongst the persons belonging to the general category, Scheduled Castes, Backward Classes and women by rotation which shall be determined in the following manner, namely:-
  - (i) the number of offices of the president reserved for the Scheduled Castes and Backward Classes in the State shall bear as may be the same proportion to the total number of such offices of the municipalities as the population of the Scheduled Castes and Backward Classes in the State bears to the total population of the State;
  - (ii) not less than one third of the total number of offices of the president in the municipalities shall be reserved for women including the offices reserved for Scheduled Castes and Backward Classes women. The reservation of offices for women shall rotate to different municipalities which shall be determined by draw of lots by a committee consisting of the Director, Local Bodies and Deputy Commissioners of the districts concerned or their nominee; and
  - (iii) the number of offices of the president for Scheduled Castes and Backward Classes shall be determined on the basis of their population and shall rotate to different municipalities firstly, having largest population of Scheduled Castes, secondly, from the remaining municipalities having largest population of Backward Classes and they rotate in the subsequent terms of offices of the municipalities having their next largest population and so on. In case percentage of population of two Municipal Committees or Municipal Councils as regards Backward Classes and Scheduled Castes is the same, the reservation shall be determined by draw of lots to be conducted by a committee referred clause (ii) above."
- 12. In the said rules, for rule 71, the following rule shall be substituted, namely:-
  - **"71. Ballot to be taken and result thereof.-** (1) If only one candidate for the office of vice-President is proposed, such candidate shall be declared to have been duly elected. If the number of proposed candidates is more than one, the voting shall be by ballot paper or electronic voting machine. The members including president present shall be required to vote by ballot paper by marking with arrow cross mark rubber stamp or by electronic voting machine, as may be directed by the State Election Commission. The candidate getting the maximum number of votes shall be declared to have been elected. Special ballot paper shall be used for such voting and it shall bear an official mark to be placed thereon by the Deputy Commissioner.
  - (2) All ballot papers used for such voting shall, immediately after the counting of votes has been completed, be enclosed in the stout envelope and sealed by the officer who presided at the meeting in the view of the members including president present there at and the description of the election to which the ballot papers relate shall be inscribed thereon and such envelope shall be enclosed in another large envelope which shall be addressed and delivered to the Deputy Commissioner. The Deputy Commissioner shall preserve the inner envelope intact until the expiry of one year from the date of the election and shall then, subject to any direction to the contrary made by the State Government or a competent court or a person or persons appointed to hold an enquiry into an election under Part V of these rules, cause it to be destroyed with its contents."
- 13. In the said rules, for rule 72, the following rule shall be substituted, namely:-
  - **"72. Procedure in case of the equality of votes.** If two or more candidates obtain an equal number of votes and that the addition of a vote would entitle any of the candidates to be elected as vice-president, then the officer presiding over the meeting shall decide, between the contesting candidates by draw of lots to be drawn in the presence of the candidates, and the candidate on whose favour the draw of lot falls shall be deemed to have been elected.".
- 14. In the said rules, for rule 72 A, the following rule shall be substituted, namely:-
  - **"72 A. No confidence motion against vice-president.-** (1) A motion of no confidence against the vice-president of a committee may be made through a requisition given in writing addressed to the Deputy Commissioner, signed by not less than one-third of the total number of members including president of a committee:

Provided that the members including president who have made such a motion may withdraw the same before the meeting is convened for the purpose.

**Explanation:** Any fraction under this rule shall be taken as a whole.

(2) The Deputy Commissioner or such other officer not below the rank of an Extra Assistant Commissioner, as the Deputy Commissioner may authorise, shall circulate to each member including president a copy of the requisition for their use.

(3) The Deputy Commissioner or such other officer not below the rank of Extra Assistant Commissioner, as the Deputy Commissioner may authorise, shall convene a special meeting by giving a notice of not less than fifteen days for the consideration of the motion referred to in sub-rule (1), and shall preside over at such meeting:

Provided that no such meeting for the purpose shall be convened before the expiry of one year from the date on which the election of the vice-president was notified, and after the expiry of such period, whenever any such meeting is convened during his term of office and the proposal for vacating the office fails, no further meeting shall at any time thereafter be convened for considering a similar proposal, against the vice-president unless a period of at least six months intervenes between the last failure and the date on which such further meeting is convened.

- (4) If the motion is carried out with the support of not less than two-third of the members including president of the committee, the vice-president shall be deemed to have vacated his office."
- 15. In the said rules, in rule 72 B, the words "President or", shall be omitted.
- 16. In the said rules, for rule 74, the following rule shall be substituted, namely:-
- "74. No election of the president or member shall be called in question except by an election petition presented in accordance with these rules."
- 17. In the said rules, in rule 75, the words "President or", shall be omitted.
- **18.** In the said rules, for the existing Form number 1, 1 C, 1 D, 2, 2 A, 2 B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18, the following forms shall be substituted, namely:-

[see rule 23(2)]

#### NOMINATION PAPER

| Counc          | cil,          |                       |                  | Or electi       | on to me  | mber f        | rom Wa                | rd/Cons  | tituency     |           | •                            | l Committee                       |        |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Numo           |               |                       |                  |                 |           |               |                       |          | ouncil       |           |                              | ·                                 |        |
|                |               |                       |                  |                 |           |               |                       |          |              | _         |                              |                                   |        |
|                | Post          | al address _          |                  |                 |           |               |                       |          |              |           |                              |                                   |        |
| the            |               |                       |                  | Comm            | nittee/Co | uncil.        |                       |          |              |           |                              | toral roll fo                     |        |
| electo         | My<br>ral rol | name is<br>ll for the |                  |                 | Com       | an<br>mittee/ | d it is e<br>Council. | ntered a | at serial No | i         | n Ward No                    | o of th                           | е      |
|                |               |                       |                  |                 |           |               |                       |          |              |           |                              |                                   |        |
| Date _         |               |                       |                  |                 |           |               |                       |          |              | (         | Signature of                 | f proposer)                       |        |
|                | I, the        | e above me            | ntione           | d candidat      | te, assen | to this       | s nomina              | tion and | hereby dec   | lare :-   |                              |                                   |        |
|                | (a)           | that I hav            | ve con           | npleted         |           | years o       | f age;                |          |              |           |                              |                                   |        |
|                | (b)           |                       |                  | at this el      |           |               |                       | p        | arty;        |           |                              |                                   |        |
|                | (c)           |                       |                  | ls I have c     |           |               |                       |          |              |           |                              |                                   |        |
|                |               | (i)                   |                  |                 |           |               |                       |          |              |           |                              |                                   |        |
|                |               |                       |                  |                 |           | nd            |                       |          |              |           |                              |                                   |        |
|                |               |                       |                  |                 |           |               |                       |          |              |           |                              |                                   |        |
| Backy<br>which | vard (        | arther decla          | are tha<br>State | nt I am a<br>of | member    | of the        | e<br>tion to _        |          | _ Caste/Cla  | ass which | h is a Sche<br>_ (area) in t | eduled Caste o<br>he State and fo | r<br>r |
|                | *I fu         | ırther declaı         | re that          | I am a wo       | men car   | ndidate       | for whic              | the se   | at has been  | so reserv | red.                         |                                   |        |

Signature of candidate

(\*Strike out whichever is not applicable)

# VERIFICATION BY MAGISTRATE

| The above declaration is solemnly affirmed before me by me or who has been identified to my satisfaction by   | who is personally known to                              |
|---|---|
| Place:  |   |
|   | Signature of verifying authority                        |
| Date:   | with full designation.                                  |
| (To be filled in by the Returning Officer   | r)  |
| Serial No. of nomination paper  |   |
| This nomination was delivered to me at my office at (hour) or   | 1(date).  |
|   | Returning Officer                                       |
| Decision of Returning Officer accepting or rejecting the I have examined this nomination paper in accordance with rule 27 of t 1978 and decide as follows:-   |   |
| Date:   | Returning Officer                                       |
| The symbol assigned to the candidate is   |   |
| Date:   | Returning Officer                                       |
| Receipt for Nomination Paper and Notice of S  | Scrutiny  |
| (To be handed over to the person presenting the nom   | nination paper)   |
| Serial No. of nomination paper  |   |
| The nomination paper of a candidate for election to member of Municipal Committee/Council | from Ward/Constituency Number was delivered to me at my |
| office at (hour) on (date) by the candidate/propose up for scrutiny at (hour) on (date) at  | er. All nomination papers will be taken (place).        |
| Date:   | Returning Officer                                       |

# FORM 1C

(see rule 23A)

Please affix your recent passport size photograph here

| President f                        | davit to be filed by the candi<br>rom Municipal Committee/o<br>of Municipal Committe | Council   | _ Or election to memb   | urning Officer for election to<br>per from Ward/Constituency                         |
|------------------------------------|--|---|---|--|
|                                    |  | PART-A  |   |  |
| ofsolemnly af (1) I am an Independ | firm and state on oath as unc  | ention full postal addre                            | ess), a candidate at the  | agedyears, resident above election, do hereby cal party)/**am contesting as          |
|                                    | name is enrolled inin Part No  | (Nam  | e of the Municipal Co   | ouncil/Committee), at Serial   |
| (3) My (if any) is                 | contact telephone number(s)  uils of Permanent Account- N                            |   | ·   |  |
| Serial<br>Number                   | Names  | PAN   | The financial year for which the last Income- Tax return has been filed | Total income shown in Income-Tax return (in Rs.)                                     |
| 1                                  | Self   |   |   |  |
| 2                                  | Spouse   |   |   |  |
| 3                                  | Dependent-1  |   |   |  |
| 4                                  | Dependent-2  |   |   |  |
| 5                                  | Dependent-3  |   |   |  |
| case(s) in accused of              | which a charge(s) has/have<br>any such offence(s) he shall to                        | been framed by the co<br>furnish the following info | ourt(s) of competent jurgormation: -                                    | years or more in a pending isdiction. If the deponent is by the court for an offence |
|                                    | with imprisonment for two y  |   |   |  |
| (a)                                | Case/First Information Recomplete details of concer State.                           |   |   |  |
| (b)                                | Section(s) of the concerne description of the offence(                               |   |   |  |
| (c)                                | Name of the Court, Case N cognizance:  | No. and date of order take                          | ing   |  |

| (d) | Court(s) which framed the charge(s)  |  |
|-----|--|--|
| (e) | Date(s) on which the charge(S) was/were framed   |  |
| (f) | Whether all or any of the proceeding(s) have been stayed by any Court(s) of competent jurisdiction |  |

(ii) The following case(s) is/are pending against me in which cognizance has been taken by the court [other than the cases mentioned in item (i) above]:-

| (a) | Name of the Court, Case No. and date of order taking cognizance:   |  |
|-----|--|--|
| (b) | The details of cases where the court has taken cognizance, section(s) of the Act(s) and description of the offence(s) for which cognizance taken |  |
| (c) | Details of Appeal( s)/Application( s) for revision (if any) filed against the above order( s)  |  |

(6) I have been/have not been convicted of an offence(s) [other than any offence(s) referred to in sub-section (1) or sub-section (2), or covered in sub-section (3), of section 8 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951)] and sentenced to imprisonment for one year or more.

If the deponent is convicted and punished as aforesaid, he shall furnish the following information:

In the following cases, I have been convicted and sentenced to imprisonment by a court of law:

| (a) | The details of cases, Section(s) of the concerned Act(s) and description of the offence(s) for which convicted           |  |
|-----|--|--|
| (b) | Name of the Court(s), Case No. and date(s) of order(s):  |  |
| (c) | Punishment imposed   |  |
| (d) | Whether any appeal was/has been filed against the conviction order. If so, details and the present status of the appeal: |  |

<sup>(7)</sup> That I give herein below the details of the assets (movable and immovable etc.) of myself, my spouse and all dependents:

#### A. Details of movable assets:

- Note: 1: Assets in joint name indicating the extent of joint ownership will also have to be given.
- Note: 2. In case of deposit/Investment, the details including Serial Number, Amount, date of deposit, the scheme, Name of the Bank/Institution and Branch are to be given
- Note: 3. Value of Bonds/Share Debentures as per current market value in Stock exchange in respect of listed companies and as per books in case of non-listed companies should be given.
- Note: 4. Dependent here has the same meaning as assigned in Explanation (v) under section 75A of the Representation of the People Act. 1951. .

Note: 5. Details including amount is to be given separately in respect of each investment

| Sr.<br>No. | Description  | Self | Spouse | Dependent-1 | Dependent-2 | Dependent-3 |
|------------|--|------|--------|-------------|-------------|-------------|
| (i)        | Cash in hand   |      |        |             |             |             |
| (ii)       | Details of deposit in Bank accounts (FDRs. Term Deposits and all other types of deposits including saving accounts). Deposits with financial |      |        |             |             |             |

| institutions. Non-Banking financial Companies and Cooperative societies and the amount in each such deposit  (iii) Details of investment in Bonds debentures / shares and units in companies' mutual funds and others and the amount  (iv) Details of investment in NSS. Postal Saving, Insurance policies and investment any Financial instruments in Post office or Insurance Company and the amount  (v) Personal loans/ advance given to any person or entity including firm. company. Trust etc. and other receivables from debtors and the amount  (vi) Motor Vehicles/ Aircrafts/Yachts/ Ships (Details of Make registration number etc. year of purchase and amount)  (vii) Jewellery, bullion and valuable thing(s) (give I details of weight and value)  (viii) Any other assets such as value of claims/ interest (ix) Gross Total Value | _      | T  | I | I | T | T |  |
|---|--------|--|---|---|---|---|--|
| in Bonds debentures / shares and units in companies/ mutual funds and others and the amount  (iv) Details of investment in NSS. Postal Saving. Insurance policies and investment any Financial instruments in Post office or Insurance Company and the amount  (v) Personal loans/ advance given to any person or entity including firm. company. Trust etc. and other receivables from debtors and the amount  (vi) Motor Vehicles/ Aircrafts/Yachts/ Ships (Details of Make registration number etc. year of purchase and amount)  (vii) Jewellery, bullion and valuable thing(s) (give I details of weight and value)  (viii) Any other assets such as value of claims/ interest   |        | Banking financial Companies and Cooperative societies and the amount in  |   |   |   |   |  |
| in NSS. Postal Saving. Insurance policies and investment any Financial instruments in Post office or Insurance Company and the amount  (v) Personal loans/ advance given to any person or entity including firm. company. Trust etc. and other receivables from debtors and the amount  (vi) Motor Vehicles/ Aircrafts/Yachts/ Ships (Details of Make registration number etc. year of purchase and amount)  (vii) Jewellery, bullion and valuable thing(s) (give I details of weight and value)  (viii) Any other assets such as value of claims/ interest   | (iii)  | in Bonds debentures /<br>shares and units in<br>companies/ mutual<br>funds and others and                              |   |   |   |   |  |
| advance given to any person or entity including firm. company. Trust etc. and other receivables from debtors and the amount  (vi) Motor Vehicles/ Aircrafts/Yachts/ Ships (Details of Make registration number etc. year of purchase and amount)  (vii) Jewellery, bullion and valuable thing(s) (give I details of weight and value)  (viii) Any other assets such as value of claims/ interest  | (iv)   | in NSS. Postal Saving. Insurance policies and investment any Financial instruments in Post office or Insurance Company |   |   |   |   |  |
| Aircrafts/Yachts/ Ships (Details of Make registration number etc. year of purchase and amount)  (vii) Jewellery, bullion and valuable thing(s) (give I details of weight and value)  (viii) Any other assets such as value of claims/ interest  | (v)    | advance given to any person or entity including firm. company. Trust etc. and other receivables from debtors and the   |   |   |   |   |  |
| valuable thing(s) (give I details of weight and value)  (viii) Any other assets such as value of claims/interest  | (vi)   | Aircrafts/Yachts/ Ships (Details of Make registration number etc. year of  |   |   |   |   |  |
| as value of claims/<br>interest   | (vii)  | valuable thing(s) (give l details of weight and  |   |   |   |   |  |
| (ix) Gross Total Value  | (viii) | as value of claims/  |   |   |   |   |  |
|   | (ix)   | Gross Total Value  |   |   |   |   |  |

# **B.** Details of Immovable Assets:

Note: 1. Properties in joint ownership indicating the extent of joint ownership will also have to be indicated

Note: 2. Each land or building or apartment should be mentioned separately in this format

| Sr.<br>No. | Description  | Self | Spouse | Dependent-1 | Dependent-2 | Dependent-3 |
|------------|--|------|--------|-------------|-------------|-------------|
| (i)        | Agricultural Land<br>Location(s) Survey<br>number(s)<br>Area (total<br>measurement in acres) |      |        |             |             |             |

|       | Whether inherited property (Yes or No) Date of purchase in case of self acquired property Cost of Land (in case of purchase) at the\time of purchase Any investment on the land by way of development, construction etc. Approximate current market value  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
| (ii)  | Non-Agricultural Land: Location(s) Survey number(s) Area (total measurement in sq.ft.) Whether inherited property (Yes or No) Date of purchase in case of self-acquired property Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase Any investment on the land by way of development, construction etc. Approximate current  |  |  |  |
| (iii) | Commercial buildings (including apartments) -Location(s) " -Survey number(s) Area (total measurement in sq.ft.) Built-up Area (total measurement in sq. ft.) Whether inherited property (Yes or no) Date of purchase of self-acquired property Cost of property (in case of purchase) at the time of purchase Any investment on the property by way of development, Approximate current market value |  |  |  |

| (iv) | Residential Buildings (including apartments):- Location(s)- Survey number(s) area Built up area (Total measurement in sq.ft.) Whether inherited property (Yes or No) Date of purchase in case of self-acquired property Cost of property (in case of purchase) at the time of purchase Any investment on the land by way of development, construction etc. |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
|      | Approximate current market value   |  |  |  |
| (v)  | Others (such as interest in property)  |  |  |  |
| (vi) | Total of current<br>market value of (i) to<br>(v) above  |  |  |  |

(8) I give herein below the details of liabilities/dues to public financial institutions and government:(Note: please give separate details of name of bank, institution, entity or individual and amount before each item)

| Sr.<br>No. | Description   | Self | Spouse | Dependent-1 | Dependent-2 | Dependent-3 |
|------------|---|------|--------|-------------|-------------|-------------|
| (i)        | Loan or dues to Bank/financial institution(s)Name of the Bank or financial institution, Amount outstanding, Nature of Loan Loan or dues to any Other individuals/ entity other than mentioned above Name(s) |      |        |             |             |             |
|            | Amount Outstanding, nature of loan  Any other liability   |      |        |             |             |             |
|            | Grand total of liabilities  |      |        |             |             |             |
| (ii)       | Government dues: Dues to departments dealing with government accommodation  |      |        |             |             |             |

|       | Dues to department<br>dealing with supply of<br>water   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
|       | Dues to department<br>dealing with supply of<br>electricity   |  |  |  |
|       | Dues to department<br>dealing with supply of<br>telephones/ mobiles   |  |  |  |
|       | Dues to department<br>dealing with<br>government transport<br>(including aircrafts<br>and helicopters)                          |  |  |  |
|       | Income tax dues<br>Wealth tax dues<br>Service tax dues  |  |  |  |
|       | Municipal/Property<br>Tax dues  |  |  |  |
|       | Sales Tax dues Any other dues   |  |  |  |
| (iii) | Grand total of all<br>Government dues   |  |  |  |
| (iv)  | Whether any other liabilities are in dispute, if so, mention the amount involved, and the authority before which it is pending. |  |  |  |

|--|

| 1     | ٠, | Salf |
|-------|----|------|
| - ( - | a) | Sell |

(10) My educational qualification is as under:-

(Give details of highest School/University education mentioning the full form of the certificate/diploma/degree course, name of the School/College/University and the year in which the course was completed.)

#### PART-B

#### (11) ABSTRACT OF THE DETAILS GIVEN IN (1) TO (10) OF PART-A:

| 1. | Name of the candidate   | Sh./ Smt./Kum. |
|----|---|----------------|
| 2. | Full postal address   |                |
| 3. | Name of the Municipal Council/Committee   |                |
| 4. | Name of the political party which set up the candidate (otherwise write 'Independent')  |                |
| 5. | (i) Total number of pending cases where charges have been framed by the Court for offences punishable with imprisonment for two years or more (ii) Total number of pending cases where the court(s) have taken cognizance [other than the cases mentioned in item (i) above |                |

<sup>(</sup>b) Spouse .....

| 6.  |      | Total Number of cas<br>sentenced to impriso<br>[except for offences<br>(2) or (3) of section (2)<br>People Act, 1951] | nmen<br>referr | t for one yo | ear or more osections (1), |                                   |        |        |                    |  |
|-----|------|---|----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------------------|--|
| 7.  |      |   |                | PAN of       |                            | Year for which income Tax refiled |        | Total  | Total income shown |  |
|     |      | Candidate   |                |              |                            |                                   |        |        |                    |  |
|     |      | Spouse  |                |              |                            |                                   |        |        |                    |  |
|     |      | Dependents  |                |              |                            |                                   |        |        |                    |  |
| 8.  |      | Details of Assets and   | l Liab         | ilities in R | upees                      |                                   |        |        |                    |  |
|     |      | Description   | Self           |              | Spouse                     | Dependent-I                       | Depene | ent-II | Dependent-III      |  |
| A   |      | Moveable Assets<br>(Total value)  |                |              |                            |                                   |        |        |                    |  |
| B.  |      | Immovable Asset   |                |              |                            |                                   |        |        |                    |  |
|     | I.   | Purchase Price of<br>self-acquired<br>immovable<br>property   |                |              |                            |                                   |        |        |                    |  |
|     | II.  | Development/<br>construction cost<br>of immovable<br>property after<br>purchase (if<br>applicable)                    |                |              |                            |                                   |        |        |                    |  |
|     | III  | Approximate<br>Current market<br>price of-  |                |              |                            |                                   |        |        |                    |  |
|     |      | (a) self-acquired<br>assets (Total<br>Value)<br>(b) inherited assets<br>(Total Value)                                 |                |              |                            |                                   |        |        |                    |  |
| 9.  |      | Liabilities   |                |              |                            |                                   |        |        |                    |  |
|     | (i)  | Government dues (Total)   |                |              |                            |                                   |        |        |                    |  |
|     | (ii) | Loans from Bank,<br>Financial<br>Institutions and<br>others (Total)   |                |              |                            |                                   |        |        |                    |  |
| 10. |      | Liabilities that are under dispute  |                |              |                            |                                   |        |        |                    |  |
|     | (i)  | Government dues (Total)   |                |              |                            |                                   |        |        |                    |  |
|     | (ii) | Loans from Bank,<br>Financial<br>Institutions and<br>others (Total)   |                |              |                            |                                   |        |        |                    |  |

| 11. | Highest educational qualification:  |
|-----|---|
|     | (Give details of highest School/ University education mentioning the full form of the certificate/ diploma/degree course, name of the School/College/ University and the year in which the course was completed.) |

#### **VERIFICATION**

- I, the deponent, above named, do hereby verify and declare that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there from. I further declare that:-
  - (a) there is no case of conviction or pending case against me other than those mentioned in items 5 and 6 of Part A and B above;
  - (b) I, my spouse, or my dependents do not have any asset or liability, other than those mentioned in items 7 and 8 of Part A and items 8, 9 and 10 of Part B above.

| verified atthis theday of, |                 |
|----------------------------|-----------------|
|                            | <b>DEPONENT</b> |
|                            |                 |

- Note: 1. Affidavit should be filed latest by 10 A.M. on the date of scrutiny of nominations
- Note: 2. Affidavit should be sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of the First Class or before a Notary Public.
- Note: 3. All column should be filled up and no column to be left blank. If there is no information to furnish in respect of any item, either "Nil" or "Not applicable", as the case may be, should be mentioned,
- Note: 4. The Affidavit should be either typed or written legibly and neatly."

4 . 4

· c 1 .

#### "FORM 1D"

(see rule 23A)

| Returning Off                  | vit/declaration to be filed by the candidate along with nomination paper and Form 1C before the icer for election to President from Municipal Committee/Council   |
|--------------------------------|---|
| of                             |   |
| (1) I am a as an Independ      | candidate set up by(**name of the political party)/**am contesting lent candidate.  |
| (**strike out w                | whichever is not applicable)  |
|                                | me is enrolled in (Name of the Municipal Council/Committee at Serialin Part No  |
| (3) My con                     | stact telephone number(s) is/areand my e-mail id  |
| (if any) is                    |   |
| (4) I have r<br>Election Rules | not incurred any of the following disqualifications, as laid down under rule 21 of the Haryana Municipal s, 1978:-  |
|                                | I have not been convicted and charges have not been framed against me in a criminal case for an offence, punishable with imprisonment for not less than ten years.  |
| 1                              | I have not been failed to pay any arrear of any kind due to me to any Primary Agriculture Co-operative Society, District Central Co-operative Bank and District Primary Co-operative Agriculture Rural Development Bank. No Dues certificate(s) from the said institution(s) is/are enclosed. |
|                                | I have not been failed to pay arrears of electricity bills. No dues certificate from the concerned Power Utility is enclosed.   |
|                                | I have passed matriculation examination or its equivalent examination from recognized institution/board   |
|                                | Or  |
|                                | I have passed the middle class (in case of a woman candidate or a candidate belonging to Scheduled caste)   |
|                                | Or  |
|                                | I have passed the 5th class (in case of a woman candidate belonging to Scheduled caste, <u>excluding</u> <u>President</u> )   |
| _                              | A true attested copy of certificate issued by the concerned Institution/Board is enclosed.  |
| (v)                            | I have a functional toilet at the place of my residence.  |
|                                |   |
|                                | DEPONENT  |
|                                | <u>VERIFICATION</u>   |
|                                | deponent, above named, do hereby verify and declare that the contents of this affidavit are true and best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there   |
|                                | this theday of,   |
|                                | DEPONENT  |
| Note:1. A                      | ffidavit/Declaration should be filed latest by 10 A.M. on the date of scrutiny of nominations.  |

- Note: 2. Affidavit should be sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of the First Class or Notary Public.
- Note: 3. All columns should be filled up and no column to be left blank. If there is no information to furnish in respect of any item, either "Nil" or "Not applicable", as the case may be, should be mentioned,
- Note: 4. Affidavit/Declaration should either be typed or written legibly and neatly."

[see rule 39(2)]

# APPOINTMENT OF POLLING AGENT

| from Ward/Constituency Number     | ipal Committee/Council Or electric of   |                  |
|-----------------------------------|---|------------------|
| I,son/daughter of for the poll at | a candidate at the above election, do hereby appoint as a polling agent to attend to Polling Station No   | at/place fixed   |
| Place:                            | Signature of Candid   | ate              |
| I agree to act as such P          | Polling Agent   |                  |
| Place: Date:                      | Signature of Polling  | Agent            |
|                                   | be signed before Presiding Officer<br>lection, I will not do anything forbidden by the Municipal Election | ion Rules, 1978. |
| Date:                             | Signature of Polling  | Agent            |
| S                                 | Signed before me  |                  |
| Date:                             | Signature of Presidi  | ng Officer       |

#### FORM 2A

[see rule 39A]

# APPOINTMENT OF ELECTION AGENT

|            |                       | Municipal Committee/Council                         |
|------------|-----------------------|---|
| from War   | d/Constituency Number | of Municipal Committee/Council                      |
| To         |                       |   |
| Т          | The Returning Officer |   |
| -          |                       |   |
| _          |                       |   |
| _          |                       |   |
| Ι          |                       | a candidate at the above election do hereby appoint |
| Sh         |                       | (Name and Address) as my election agent from this   |
| day at the | above election.       |   |
| Place      |                       |   |
|            |                       |   |
| Date       |                       | Signature of Candidate                              |
|            |                       | I accept the above appointment                      |
| Place      |                       |   |
| Date       |                       | Signature of Election Agent                         |

#### FORM 2B

[see rule 39B (2)]

#### APPOINTMENT OF COUNTING AGENT

|  | /Council Or election to member icipal Committee/Council   |
|--|---|
| То   | •   |
| The Returning Officer/Presiding Officer,                 |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  | 111. /** .1 1   |
| I who is a ca  | a candidate/** the election agent of ndidate at the above election hereby appoint the following and of votes at |
| persons as my/his** counting agents to attend the counti | ng of votes at  |
| Name of the Counting Agent                               | Address of the Counting Agent   |
| 1  |   |
| 2  |   |
| 3  |   |
| 4  |   |
| 5  |   |
| 6  |   |
| etc.   |   |
| Place  |   |
| Date   | Signature of Candidate/ Election Agent**  |
| We agree to act as such Counting Agents.                 |   |
| 1.   |   |
| 2.   |   |
| 3.   |   |
| 4.   |   |
| 5.   |   |
| 6.   |   |
| etc.   |   |
| Place  |   |
| Date   | Signature of the Counting Agents  |

#### **DECLARATION OF THE COUNTING AGENTS**

(To be signed before the Returning Officer/Presiding Officer)

| We hereby declare that at the above election, we shall not do any             | thing forbidden under sub-sections (1) |
|---|--|
| and (2) of section 275 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), which | ch we have read/has been read over to  |
| us.   |  |
| 1   |  |
| 2   |  |
| 3   |  |
| 4   |  |
| 5   |  |
| 6   |  |
| etc.  |  |
| Place   |  |
| Date  | Signature of Counting Agents           |
|   | Signed before me                       |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   | Signature of the Returning Officer/    |
|   | Presiding Officer                      |

- Section 275 (1) Every employee, agent or other person who performs any duties in connection with the recording or counting votes at an election shall maintain an aid in maintaining the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorized by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy.
  - (2) Any person who willfully acts in contravention of the provisions of this section shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding three months, or with fine, or with both.

<sup>\*\*</sup> Strike off the inappropriate alternative.

[see rule 46(2)(c)]

|                           |                 |  | ınicipal Comn   |   |                            |                    |                                  |  |
|---------------------------|-----------------|--|---|---|----------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Poll                      |                 |  |   |   |                            | of Mun             | icipal Comr                      | nittee/Council   |
| Serial<br>No. of<br>entry | Name of elector | Serial<br>number<br>of<br>elector's<br>name in<br>the roll | Signature<br>or thumb<br>impression<br>of the<br>person<br>challenged | Address<br>of the<br>person<br>challenged | Name of identifier, if any | Name of challenger | Order of<br>Presiding<br>Officer | Signature<br>of<br>challenger<br>on<br>receiving<br>refund of<br>deposit |
| (1)                       | (2)             | (3)  | (4)   | (5)                                       | (6)                        | (7)                | (8)                              | (9)  |
|                           |                 |  |   |   |                            |                    |                                  |  |
| Date:                     |                 |  |   |   |                            | Signature o        | of Presiding (                   | Officer  |

[see rule 53(2)]

|                                      | LIST OF                            | BLIND AND INFI         | RM VOTERS            |                        |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                                      | Or election to member of Municipal |                        |                      |                        |
| No. of Polling S                     | Station/place of poll              |                        |                      |                        |
| Serial number of elector on the roll | Full name of elector               | Full name of companion | Address of companion | Signature of companion |
| 1                                    | 2                                  | 3                      | 4                    | 5                      |
|                                      |                                    |                        |                      |                        |
| Date:                                |                                    |                        | Signatur             | e of Presiding Officer |

[see rule 55(2)]

# LIST OF TENDERED VOTES

| Election to President from Municipal Committee/Council |                         |  |   |   |  |  |  |
|--|-------------------------|--|---|---|--|--|--|
| Number of Pollin                                       | g Station/Place of Poll |  |   |   |  |  |  |
| Serial number and<br>name of elector on<br>the roll    | Address of elector      | Serial number of<br>tendered ballot<br>paper | Serial number of<br>ballot paper issued<br>to the person who<br>has already voted | Signature or thumb<br>impression of<br>person tendering<br>vote |  |  |  |
| 1  | 2                       | 3  | 4   | 5   |  |  |  |
|  |                         |  |   |   |  |  |  |

Date: Signature of Presiding Officer

# (see rule 57)

| umber o | of Polling Station/Place of Poll      |                |              |
|---------|---------------------------------------|----------------|--------------|
|         |                                       | Serial Numbers | Total Number |
| (1)     | Ballot papers received                |                |              |
| (2)     | Ballot papers unused                  | _              |              |
|         | (a) with signature of the             |                |              |
|         | Presiding Officer, if any, and        |                |              |
|         | (b) Without the signature of the      |                |              |
|         | Presiding Officer                     |                |              |
| (3)     | Ballot papers issued to voters        |                |              |
| (4)     | Ballot papers cancelled               |                |              |
|         | (a) for violation of voting procedure |                |              |
|         | (b) for any other reason              |                |              |
| (5)     | Ballot papers used as                 |                |              |
|         | tendered ballot papers                |                |              |
| (6)     | Ballot papers which should            |                |              |
| (0)     | Be in the Ballot Box                  |                |              |

[see rule 60(2)]

# (To be filled after counting of votes) FORM OF ACCOUNT OF BALLOT PAPERS

| from V | Vard/Const<br>Polling Sta | President from Municipal                                 | of Municipal C             | I   |                       |  |  |  |  |
|--------|---------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|
| I. Ser | ial No.                   | Name of Candidate  | Number of valid votes cast |   |                       |  |  |  |  |
| 1.     |                           |  |                            |   |                       |  |  |  |  |
| 2.     |                           |  |                            |   |                       |  |  |  |  |
| 3.     |                           |  |                            |   |                       |  |  |  |  |
| 4.     |                           |  | etc.                       |   |                       |  |  |  |  |
| II.    | Rejected                  | ballot papers  |                            |   |                       |  |  |  |  |
| III.   | Total                     |  |                            |   |                       |  |  |  |  |
| IV.    |                           | the total number of ballot<br>mber 6 in Form-6 or any di |                            | st Item No.III above tallies with the street these two figures. | h total shown against |  |  |  |  |
| Date   | <u> </u>                  |  |                            | Signature of I  | Presiding Officer     |  |  |  |  |

[see rules 62, 69U (2) (c), 69V (1) and 69W (2)]

# FORM OF CONSOLIDATION OF ACCOUNT OF THE COUNTED BALLOT PAPERS

| Polling<br>Station<br>No. | Total votes found in the ballot box(es)/ EVM(s) | Number<br>of<br>tendered<br>votes |   |   |   | Valid<br>votes<br>Total | Number<br>of<br>rejected<br>ballot<br>papers | Votes for "NOTA" option | Valid<br>and<br>rejected<br>votes |   |  |  |       |            |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|-------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|---|--|--|-------|------------|
|                           |   |                                   | A | В | С | D                       | Е  | F                       | G                                 | Н |  |  |       |            |
| 1                         |   |                                   |   |   |   |                         |  |                         |                                   |   |  |  |       |            |
| 2                         |   |                                   |   |   |   |                         |  |                         |                                   |   |  |  |       |            |
| 3                         |   |                                   |   |   |   |                         |  |                         |                                   |   |  |  |       |            |
| 4                         |   |                                   |   |   |   |                         |  |                         |                                   |   |  |  |       |            |
| 5                         |   |                                   |   |   |   |                         |  |                         |                                   |   |  |  |       |            |
| Etc.                      |   |                                   |   |   |   |                         |  |                         |                                   |   |  |  |       |            |
| Total                     |   |                                   |   |   |   |                         |  |                         |                                   |   |  |  |       |            |
|                           |   |                                   |   |   |   |                         |  |                         |                                   |   |  |  | Datum | ing Office |

[see rule 50-A(1)]

# LETTER OF INTIMATION TO RETURNING OFFICER

| 10                      |   |
|-------------------------|---|
| The                     | Returning Officer   |
|                         | Ward/Constituency No  |
| Mun                     | nicipal Committee/Council   |
| Sir,                    |   |
|                         | to cast my vote by post at the ensuing election to President from Municipal Committee/Council Or election to member from Ward/Constituency Number of Municipal il |
| Ward<br>Serial Number . | have been posted on election duty at polling station No of /Constituency in Municipal Committee/Council   |
| The                     | ballot paper may be sent to me at the following address.  |
|                         |   |
| Place                   |   |
| Date                    | Yours faithfully,   |
|                         | ()  |

[see rule 69N (1)]

# APPLICATION FOR ELECTION DUTY CERTIFICATE

| Election to President from Municipal Committee/Council from Ward/Constituency Number of N   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| То  |                                       |
| The Returning Officer,  |                                       |
| Sir,  |                                       |
| I intend to cast my vote in person at the ensuing election to the above volume Serial Number in part No. of the electoral roll for the above Ward/Co                  |                                       |
| I have been posted on election duty at Polling Station Numberof Ward/Constituency Number  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| I request that an Election Duty Certificate in Form 13 may be issued to en station where I shall be on duty on the polling day. It may be sent to me at the following |                                       |
|   |                                       |
|   |                                       |
|   |                                       |
|   |                                       |
|   | Yours faithfully,                     |
| Date  | (Applicant's name)                    |

[see rules 69G, 69H(7), 69M, 69P(1)(b) and 69X(1)(e), Form 18]

# REGISTER OF VOTERS

| from Ward        | tion to President from Municipal Comml/Constituency Number |                                       |         |
|------------------|--|---------------------------------------|---------|
|                  | nber and Name of Polling Station                           |                                       | _       |
|                  | No. of Electoral Roll                                      |                                       |         |
| Serial<br>Number | Serial number of elector in the electoral roll             | Signature/thumb impression of elector | Remarks |
|                  |  |                                       |         |
|                  |  |                                       |         |
| 1                |  |                                       |         |
| 2                |  |                                       |         |
| 3                |  |                                       |         |
| 4                |  |                                       |         |
| 5                |  |                                       |         |
| etc.             |  |                                       |         |

Signature of the Presiding Officer

[see rules 69M, 69N(1)(a) and 69P(1(e)]

# **ELECTION DUTY CERTIFICATE**

| Certified that                        | Sh./Smt./Ms.                      |                          |       |            | S/o/       | D/o/     | W/o     |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|------------|------------|----------|---------|
|                                       |                                   |                          | is    | an         | elector    | in       | the     |
|                                       | *                                 | Ward/Constituency,       | his   | electoral  | roll n     | ımber    | being   |
|                                       | that by reason of his being       | on election duty, he is  | unab  | ole to vot | e at the p | olling s | tation, |
| where he is entitled to date of poll. | vote and as such is hereby author | ized to vote at any poll | ing s | tation, he | may be o   | n duty   | on the  |
| Place                                 |                                   |                          |       |            |            |          |         |
| Date                                  | -                                 |                          | Sign  | ature of R | Leturning  | Officer  |         |
|                                       |                                   |                          |       | ;          | Seal       |          |         |
|                                       |                                   |                          |       |            |            |          |         |
| * - Appropriate                       | e particulars to be inserted.     |                          |       |            |            |          |         |

[see rule 69N(4)(a) and (6)(b) and (c) and Form 17]

#### DECLARATION BY ELECTOR FOR USE OF POSTAL BALLOT PAPER

(This side is to be used only when the elector signs the declaration himself) ..... I hereby declare that I am the elector to whom the postal ballot paper bearing serial number has been issued at the above election. Date Signature of the Elector Address ATTESTATION OF SIGNATURE The above has been signed in my presence by \_\_\_\_\_ (elector) who is personally known to me/has been identified to my satisfaction by \_\_\_\_\_ (identifier) who is personally known to me. Signature of the Identifier Signature of the Attesting Officer, If any \_\_\_\_\_ Designation \_\_\_\_\_ Address \_\_\_\_ Address \_\_\_\_\_ Date (This side is to be used when the elector cannot sign himself) I hereby declare that I am the elector to whom the postal ballot paper bearing serial number has been issued at the above election. Date Signature of Attesting Officer On behalf of Elector Address of Elector **CERTIFICATE** I hereby certify that – the above named elector is personally known to me/has been identified to my satisfaction by (identifier) who is personally known to me; I am satisfied that the elector is illiterate/suffers from \_\_\_\_\_ (infirmity) and is unable to (2) record his vote himself or sign his declaration. I was requested by him to mark the ballot paper and to sign the above declaration on his behalf; and (3) The ballot paper was marked and the declaration signed by me on his behalf in his presence and in **(4)** accordance with his wishes. Signature of the Identifier Signature of the Attesting Officer, If any \_\_\_\_\_ Designation \_\_\_\_\_ Address \_\_\_\_\_ Address \_\_\_\_\_

Date

[see rule 69N(4)(b) and (6)(a)]

# COVER "A"

| NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING                       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Election to President from Municipal Committee/Council |  |  |  |  |  |  |  |
| POSTAL BALLOT PAPER                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Serial Number of ballot paper                          |  |  |  |  |  |  |  |

[see rule 69N(4)(c)]

# LARGE COVER "B"

|  | to President from Municipal Committee/Council per from Ward/Constituency Number of |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COVER "B"  | SERVICE UNPAID   |  |  |  |  |  |  |
| Every Officer under whose care or through whom a postal ballot paper is sent shall ensure its delivery to the address without delay. [Rule 50A(4)] |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTION   | <u>– IMMEDIATE</u>   |  |  |  |  |  |  |
| Postal Ballot Paper  |  |  |  |  |  |  |  |
| For election to President from Municipal Committee/Council   |  |  |  |  |  |  |  |
| (NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING)   |  |  |  |  |  |  |  |
| To   |  |  |  |  |  |  |  |
| The Returning Officer  |  |  |  |  |  |  |  |
| **   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature of the Sender  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\*\* Returning Officer to mention here the full address.

[see rules 69N(4)(d) and (6)(a) and (c) and 69W(1)]

#### INSTRUCTION FOR THE GUIDANCE OF ELECTORS FOR USE OF POSTAL BALLOT PAPER

| Election to Presid     | ent from Municipal ( | Committee/Co | uncil               | C | <b>)r</b> election t | o member |
|------------------------|----------------------|--------------|---------------------|---|----------------------|----------|
| from Ward/Constituency | Number               | of Municipa  | l Committee/Council |   |                      |          |

. The person whose names are printed on the ballot paper sent herewith are candidates at the above election. If you desire to vote you shall record your vote in accordance with the directions given in Part-I below and then follow the instructions detailed in Part-II.

#### PART I

#### **DIRECTIONS TO ELECTORS**

- 1. The number of members to be elected is one.
- 2. You have only one vote.
- 3. You must not vote for more than one candidate. If you do so your ballot paper shall be rejected.
- 4. Record the vote by placing clearly a mark opposite the name of the candidate to whom you wish to give that vote.
- 5. The mark shall be so placed as to indicate clearly and beyond doubt to which candidate you are giving your vote. If the mark is so placed as to make it doubtful to which candidate you have given the vote, that vote shall be invalid.
- 6. Do not put your signature or write any word or make any mark, sign or writing whatsoever on the ballot paper other than the mark which you are required to make thereon in accordance with paragraph 4.
- 7. An elector shall obtain the attestation of his signature on the declaration in Form 14 by a magistrate or a Gazetted Officer, if he is on election duty, by any Gazetted Officer or by the Presiding Officer of the polling station in which he is on election duty; and

#### **PART II**

#### INSTRUCTIONS FOR ELECTORS

- (a) After you have recorded your vote on the ballot, place the ballot paper in the smaller cover marked "A" sent herewith. Close the cover and secure it by seal or otherwise.
- (b) You have then to sign the declaration in Form 14 also sent herewith in the presence of a Magistrate or any other Officer competent to attest your signature (see direction 7 above). Take the declaration to any such Officer and sign it in his presence after he has been satisfied about your identity. The Officer shall attest your signature and return the declaration to you. You must not show your ballot paper to the Attesting Officer nor tell him how you have voted.
- (c) If you are unable to mark the ballot paper and sign the declaration yourself in the manner indicated above by reason of illiteracy, blindness or other infirmity you are entitled to have your vote marked and the declaration signed on your behalf by any Officer referred to in item (b). Such an Officer shall at your request mark the ballot paper in your presence and in accordance with your wishes. He shall also complete the necessary certificate in this behalf.
- (d) After your declaration has been signed and your signature has been attested in accordance with item (b) or item (c) place the declaration in Form 14 as also the smaller cover marked "A" containing ballot paper, in the larger cover marked "B". After closing the larger cover, sent it to the Returning Officer by post or by messenger. You have to give your full signature in the space provided on the cover marked "B" No postage stamp need be affixed by you.

|       | No postage stamp need be affixed by you.  must ensure that the cover reaches the Returning Officer before ** | on                               |
|-------|--|----------------------------------|
|       | **   |                                  |
| Pleas | se note that:  |                                  |
| (i)   | If you fail to get your declaration attested or certified in the manr<br>paper shall be rejected; and        | ner indicated above, your ballot |
| (ii)  | If the cover reaches the Returning Officer afteryour vote shall not be counted.                              | on the                           |

<sup>\*\*</sup> Here specify the hour and date fixed for the commencement of counting of votes.

[see rules 69Q (1), 69R (1) (ii), 69U (2) (a) and (b), 69V (1)]

#### PART-I – ACCOUNT OF VOTES RECORDED

| from '   |   | ouncil Or election to member pal Committee/Council |  |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|--|--|
|          | Number and Name of Polling Station  |  |  |  |  |  |
|          | Identification Number of Voting Machine used at th  | e Polling Station                                  |  |  |  |  |
|          | Control Unit  |  |  |  |  |  |
|          | Balloting Unit  |  |  |  |  |  |
| 1.<br>2. | Total Number of electors assigned to the Polling Sta<br>Total Number of voters entered in the Register of V   |  |  |  |  |  |
| 3.       | Total number of voters for "None of the Above (   | NOTA)"   |  |  |  |  |
| 4.       | Number of voters not allowed to vote under rule 69  |  |  |  |  |  |
| 5.       | Total Number of votes recorded as per voting mach   | ine  |  |  |  |  |
| 6.       | Whether the total number of votes as shown against item 5 tallies with the total number of voters as shown against item 2-4 or any discrepancy noticed (Yes or No). |  |  |  |  |  |
| 7.       | Number of voters to whom tendered ballot papers v   | vere issued under rule 55                          |  |  |  |  |
| 8.       | Number of tendered ballot papers.   |  |  |  |  |  |
| Serial   | number  |  |  |  |  |  |
| From     | То  |  |  |  |  |  |
| (a)      | received for use  |  |  |  |  |  |
| (b)      | issued to electors  |  |  |  |  |  |
| (c)      | not used and returned   |  |  |  |  |  |
| 9.       | Account of papers seals   |  |  |  |  |  |
|          | Serial numbers  |  |  |  |  |  |
|          | From To   | Signature of Polling Agents                        |  |  |  |  |
| 1. Ser   | ial number of paper seals supplied.   | 1  |  |  |  |  |
|          | From to   | 2  |  |  |  |  |
| 2. Tot   | al numbers supplied.  | 3  |  |  |  |  |
| 3. Nu    | mber of paper seals used.   | 4  |  |  |  |  |
| 4. Nu    | mber of unused paper seals returned to  | 5  |  |  |  |  |
| Retur    | rning Officer (Deduct item 3 from item 2)   | 6  |  |  |  |  |
| 5. Se    | rial number of damaged paper seal, if any   | 7  |  |  |  |  |
| Date     |   |  |  |  |  |  |
|          |   | Signature of Presiding Officer Polling Station No  |  |  |  |  |

#### PART-II – RESULT OF COUNTING

| Serial Number | Name of Candidate | No. of votes recorded |  |
|---------------|-------------------|-----------------------|--|
| 1             | A                 |                       |  |
| 2             | В                 |                       |  |
| 3             |                   |                       |  |
| 4             |                   |                       |  |
| 5             | None of the above |                       |  |
|               |                   |                       |  |
| Total         |                   |                       |  |

| HARYANA | GOVT | GAZ | NOV | 3 | 2020 (KRTK. | 12 | 1942 | SAKA) |
|---------|------|-----|-----|---|-------------|----|------|-------|
|         |      |     |     |   |             |    |      |       |

266

2345

.....

Whether the total numbers of votes shown above tallies with the total Number of votes shown against the item No. 5 of Part-I or any discrepancy noticed between the two totals.

Place \_\_\_\_\_
Date \_\_\_\_\_
Signature of Counting Supervisor/Presiding Officer

Name of Candidate/election agent/counting agents

Full Signature

Signature of Returning Officer/Presiding Officer

Urban Local Bodies Department.

S. N. ROY, Additional Chief Secretary to Government, Haryana,

8951—C.S.—H.G.P., Pkl.